स्मारिका 2004

उत्तरांचल

श्रम-संकल्प

गणतंत्र दिवस-2004

श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण

राष्ट्र का औद्योगीकरण-उद्योगों का श्रमिकीकरण

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल

उत्तरांचल
श्रम–संकल्प

गणतंत्र दिवस

(26 जनवरी 2004)

संरक्षक
डी. डी. शर्मा, काठगोदाम
सुन्दर लाल उनियाल, देहरादून
कमलेश श्रीवास्तव, देहरादून
हरीश तिवारी, हरिद्वार
पूरण सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा

: सम्पादक :
एस. के. डबराल

सहयोग
✦ कु० बसंती शाही ✦ श्री केवलानन्द सांगुडी
✦ श्री रमेश चन्द्र जोशी ✦ श्री सुरेन्द्र प्रसाद ✦ श्री विरेन्द्र देवरा
✦श्री एस० एस० चौहान ✦ श्री देवदत्त आर्य

भारतीय मजदूर संघ ,उत्तरांचल प्रदेश
32, चकराता रोड, देहरादून दूरभाष : ☎ (0135) 2650913

उत्तरांचल के शहीदो के प्रति श्रद्धा सुमन

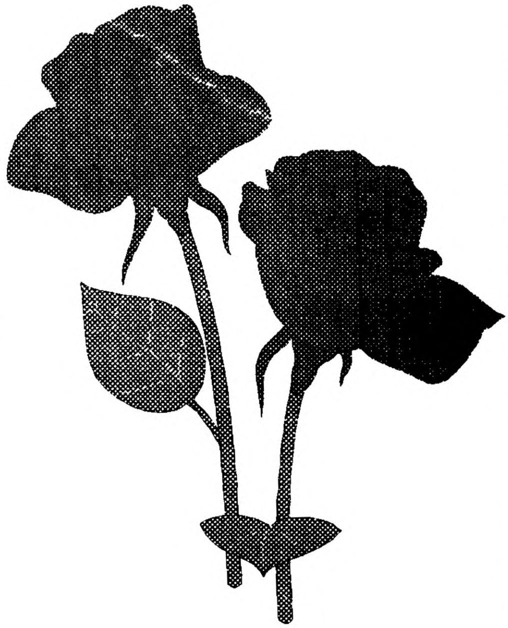

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल प्रदेश के समस्त कार्यकर्त्ता,
उत्तरांचल आन्दोलन में शहीदों अमर हुतात्मा बन्धुओं-बहिनों को
कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते है।
उत्तरांचल वासी सदैव उनका स्मरण करते हुए
उनके बलिदान से प्रेरणा लेते रहेंगे ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल परिवार

हीरा सिंह बिष्ट
मंत्री
परिवहन, तकनीकी शिक्षा
श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण

उत्तरांचल सरकार

विधान सभा भवन,
देहरादून

दूरभाष : 2665111 (कार्यालय)
2746285 (आवास)
फैक्स : 2665880

दिनांक 12-1-2004

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि गणतंत्र दिवस, 2004 के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल द्वारा "उत्तरांचल श्रम–संकल्प" नामक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा हैं।

आज व्यापार के वैश्वीकरण का दौर है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। समय की मांग है कि देश के सभी श्रमिक संगठनों, श्रमिकों तथा प्रशासन के बीच सार्थक सम्वाद स्थापित हो जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य निर्बाध गति से चलता रहे और हम अपने राष्ट्र को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकें। मैं समाज के प्रत्येक वर्ग से आशा करता हूँ कि वे राष्ट्र निर्माण में सार्थक सहयोग देंगे।

"उत्तरांचल श्रम–संकल्प" के सफल प्रकाशन के लिये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका,

(हीरा सिंह बिष्ट)

श्री एस0 के0 डबराल,
प्रदेश उपाध्यक्ष,
भारतीय मजदूर संघ,
32, चकराता रोड़,
देहरादून।

हरबंस कपूर

पूर्व राज्य मंत्री, उ0 प्र0
पूर्व मंत्री, उत्तरांचल

विधायक, उत्तरांचल

निवास :
41, खुड़बुड़ा, देहरादून
दूरभाष : 2628322

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल के अथक प्रयासों द्वारा गणतन्त्र दिवस 2004 के पावन अवसर पर "उत्तरांचल श्रम संकल्प" नामक स्मारिका का प्रकाशन होने जा रहा है।

मेरी हार्दिक शुभकामनायें स्वीकार करें।

आशा है स्मारिका में जहां एक ओर 'श्रमिक' बन्धुओं की समस्याओं एवं उनके समाधान पर प्रकाश डाला जायेगा वही राष्ट्रीय उत्पादन को किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सके इस बारे में भी चिन्तन अवश्य किया जायेगा।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को गणतन्त्र दिवस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(हरबंस कपूर)
3.12.2003

बची सिंह रावत
BACHI SINGH RAWAT

राज्य मंत्री
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
भारत सरकार, नई दिल्ली-110003
MINISTER OF STATE FOR
SCIENCE & TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA,
NEW DELHI-110003

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि श्रमिकों की सेवा के लिए समर्पित **भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल, 32, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तरांचल** पिछले कई वर्षों से बड़े उत्साह के साथ श्रमिकों की सेवा में जुटा है तथा संघ द्वारा गणतंत्र दिवस-2004 के उपलक्ष्य में " **उत्तरांचल श्रम-संकल्प** " नामक **तृतीय स्मारिका** का प्रकाशन करने जा रहा है । आशा करता हूँ कि स्मारिका में उत्तरांचल के विकास की अपार संभावनाओं पर बुद्धिजीवियों के विचारों व लेखों के साथ-साथ अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक लेखों को भी समुचित स्थान दिया जाएगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि **भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल** भविष्य में भी और अधिक उत्साह के साथ श्रमिकों की सेवा में समर्पित रहेगा तथा अपने समाज सेवा कार्यक्रम को जारी रखेगा और यह स्मारिका उसकी उपलब्धियों और कार्य-कलापों को जन-जन तक पहुंचाने में सफल होगी ।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल के सभी कर्मचारियों/सदस्यों को नव वर्ष-2004 की हार्दिक शुभकामनाएं ।

(बची सिंह रावत)

सम्पादक की ओर से

"उत्तरांचल श्रम संकल्प" आज तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अपनी इस तीसरी वर्षगांठ पर जहाँ एक ओर भारतीय मजदूर संघ उत्तरांचल की यह स्मारिका आप सभी महानुभावों के सक्रिय सहयोग से कृतार्थ है, वहीं दूसरी और उन सभी श्रम संगठनों के प्रति श्रद्धा का भाव एवं आभार प्रदर्शित भी करती है जो संघ की विचारधारा अपनाते हुये इस दौरान भारतीय मजदूर संघ से जुड़े। इस पर्वतीय प्रदेश में निरंतर हो रही अपनी संगठनात्मक प्रगति एवं वैचारिक प्रसार के पीछे, अपने सहृदय पाठकगण, मित्रवत हितैषी एव पितृवत स्नेही अन्यान्य सहयोगी तथा श्रमिक क्षेत्र के अपने समर्पित कार्यकर्त्ताओ का ही आर्शीवाद एवं पथ–प्रदर्शन रहा है।

त्याग, तपस्या और बलिदान की इस त्रिसूत्रि को अपने कार्य का आधार बना भारतीय मजदूर संघ आगामी वर्ष 2005 में अपनी स्थापना के पचास वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। पचास वर्षो की इस लम्बी एवं प्रभावशील यात्रा के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्र के प्रथम क्रमांक के केन्द्रीय श्रम संगठन होने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिस पर हमें गर्व नही, गौरव है।

इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद एवं सहयोग हमें देते रहें ताकि आपकी, श्रमिक जगत की तथा समाज एवं राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास हमारे द्वारा होता रहे। धन्यवाद।

दिनांक 26 जनवरी, 2004

(एस. के. डबराल)
प्रदेश उपाध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल

राष्ट्र हित ! उद्योग हित !! श्रमिक हित !!!

प्रदेश महामन्त्री की ओर से

मान्यवर,

भारतीय मजदूर संघ आज अपने पथ पर अग्रसर है, इस कारण श्रमिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना प्रबलता से बढ़ रही है। राष्ट्र के प्रति प्रत्येक श्रमिक अपने–अपने श्रेत्र में एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास कर रहा है। आज स्थिति बदल रही है। नये–नये विषयों का समावेश हो रहा है, जिनका ज्ञान होना भी प्रत्येक श्रमिक के लिये अति आवश्यक है। आज पर्यावरण प्रदूषण को रोकने को सरकार एवं कार्य–लक्षी वैज्ञानिक अपना दायित्व समझ रहे हैं। पर्यावरण को रोकने हेतु सभी प्रबुद्ध व्यक्ति इस ओर अग्रसर है। पर्यावरण संरक्षण एवं जन चेतना हेतु विश्वव्यापी विचारों का समर्थन हो रहा है।

अनुशासन का अभाव, पर्यावरण में गिरावट आने का प्राथमिक कारण है । अधिक सुविधाओं को जुटाने के प्रयास में हम उलझते जा रहे है। जिससे संगठन भी पर्यावरण की भांति प्रभावित हो रहे है तथा संगठन में पारस्परिक सौहार्द पूर्ण स्नेह भी घट रहा है। हमें सजग रहना पड़ेगा।

जनसंख्या मानव व्यवस्थापन, परिवहन, ऊर्जा संसाधन व विकास कुछ महत्वपूर्ण मापक है, जो भारत की पर्यावरणनीति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करते है, वास्तव में इन सभी नीतियों में एक सामान्य अन्तर्सम्बध्ता होती है एवं एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। मानव की विकास व प्रकृति से सम्बद्धता रही है। कई सामान्य समस्याओं का सामना समाज को करना पड़ रहा है। समाज तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है जिसका सीधे–सीधे हमारे जीवन पर असर पड़ता है हमें सत्य, ज्ञान, गुण सौन्दर्य व सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रस्तुत करना होगा जिससे विज्ञान, दर्शन, रहस्यवाद, नैतिकता साहित्य, कला के माध्यम से हमारे समाज को संतुष्टि प्राप्त हो सके।

संगठन को सुदृढ़ करने हेतु हमें नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। शहरों, कस्बों एवं ग्रामों में जाकर व्यक्तिगत सम्पर्क कर, कल कारखानों में जाकर जन जागरण अभियान करके स्वदेशी भावना को जाग्रत करना पड़ेगा जिससे उद्योग बचे और श्रमिकों का अहित न हो, उनके हृदय में ज्ञान का भण्डार भरना होगा, तभी संगठन को बचाया जा सकता है। इसलिये तो भारतीय मजदूर संघ सदैव से इस दिशा में समाज को शिक्षित, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं स्नेह को जाग्रत करता आ रहा है।

मुझे आशा है कि आप अपने कठिन परिश्रम तथा कार्य के प्रति समर्पण की भावना, उद्योग के प्रति सजग एवं असामाजिक तत्वों का विरोध जो संगठन के लिये हानिकारक होते है, उन्हें अपने जीवन में नहीं पनपने देगे, तभी हम राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ कहलाने वाले कार्यकर्त्ता कहलाये जायेंगे।

नववर्ष 2004 की शुभ कामनायें। संघ नेतृत्व की दूरगामी सोच ही भारतीय मजदूर संघ की सफलता का कारण है। 'धन्यवाद'

आपका शुभ चिन्तक
(सुन्दर लाल उनियाल)
प्रदेश महामंत्री
भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल

भारतीय मजदूर संघ एक नजर में

भारतीय मजदूर संघ, भारतीय संस्कृति के आधार पर चलने वाला श्रम संघ है जिसकी सदस्यता देश की मान्यता प्राप्त श्रम संघों में सर्वाधिक है। यह गैर राजनैतिक है तथा इसका मूल उद्देश्य देश में श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगिकरण तथा उद्योगों का श्रमिकीकरण करना है। देश के हित में करेंगें काम, काम के लेंगे पूरे दाम, राष्ट्र भक्त मजदूरों–एक हो–एक हो आय विषमता समाप्त हो एक दस अनुपात हो आदि 20 निश्चित नारे व कुछ गीत जैसे –

1. आओ मिलकर करे प्रतिज्ञा, भारत के सम्मान की,
   फिर से वैभव हो दुनिया में जय हो हिन्दुस्तान की।
2. चन्दन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है।
   हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
3. मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम।
   शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।।

आदि इसकी विचारधारा के परिचायक है।

वर्ष 1982 में ही इसके संस्थापक मा० दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने देश की सरकार को स्पष्ट कर दिया था कि देश आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है इससे सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन वर्ष 1992 में बिना लोक सभा में विषय की चर्चा किये तत्कालीन मा० नरसिंहाराव जी की सरकार ने देश को विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित कर विकसित राष्ट्रों के हवाले कर दिया जिसके दुष्परिणाम धीरे–धीरे आज हमारे सामने आ चुके है। बेरोजगारी, छटनी, वी०आर०एस० अनिवार्य सेवा निवृत्ति, उद्योग बन्दी, मालिकों के हित में श्रम कानूनों में परिवर्तन, स्वदेशी उत्पाद में गिरावट, खुली आयात नीति तथा कृषि क्षेत्र में आत्म हत्यायें, जैसी गम्भीर परिस्थिति हमारे सामने मुँह बाये खड़ी है।

भारतीय मजदूर संघ ने 20 अप्रैल 1993 को दिल्ली में रैली आयोजित कर तत्कालीन मा० प्रधानमंत्री जी से डब्लू०टी०ओ० के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने का संदेश दिया लेकिन बात नहीं मानी गई। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का पेटन्ट विदेशी कम्पनियों के पक्ष में होने लगा, हमने प्रदेश, जिला तहसील स्तर तक इसका खुलकर विरोध किया। इसके विरोध में जन मानस तैयार करने के क्रार्यक्रम किये। 16 अप्रैल 2001 को पुनः देहली में विराट रैली आयोजित कर वर्तमान सरकार को विकासशील राष्ट्रो का अलग विश्व व्यापार संगठन बनाये जाने का संदेश दिया हमारे सतत् प्रयासों

एवं प्रबल इच्छा शक्ति के आधारों पर ही वर्ष 2003 में देश की सरकार ने 20 राष्ट्रों का इस पक्ष में मत प्राप्त कर विकसित राष्ट्रों के समक्ष उनके मनसूबों पर गतिरोध उत्पन्न करने में कामयाबी हासिल कर देश में आम जनता के समक्ष प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय मजदूर संघ का संघर्ष देश के हित में है। आवश्यकता इस बात की है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य संस्कृति में गुणवत्ता लावें और विश्व में अपना स्थान प्राप्त करें।

उत्तरांचल गठन से पूर्व अपना कार्य यद्यापि यहां विद्यमान था लेकिन आज अवसर है कि अपना कार्य का विस्तार प्रत्येक जनपद ब्लाक तथा तहसील स्तर तक पहुंचे इसके लिए मजदूर संघ की स्वर्णजयन्ती राष्ट्रीय अधिवेशन 2005 तक संगठन के विस्तार के अनेक कार्यक्रम निश्चित किये गये है। हमने आंगनवाड़ी तथा इ०डी० कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक कार्य क्रम लेकर परिवार की इकाई तक अपने विचार को पहुँचाने का निर्णय लिया है। उद्योगों में अपना कार्य खड़ाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों का हतोत्साहित किया है। असंगठित क्षेत्र में अपना काम बढ़ा है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अनेक स्थानों पर कार्यक्रम लिये है।

वर्तमान में अपना कार्य सम्पूर्ण उत्तरांचल में चल रहा है। 13 जनपदों में से 9 जनपदों में जिला इकाई गठित है। तथा 4 जनपदों में संयोजक नियुक्त है। 96 पंजीकृत यूनियनों को लेकर अनुमानित 1,15,000 की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। कार्य की दृष्टि से अपना कार्य देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा अल्मोड़ा 4 क्षेत्रों में विभक्त है जिसका दायित्व क्षेत्र प्रमुखों को सौंपा गया है। यद्यपि शिक्षकों/राज्य कर्मचारियों में अपना कार्य कम है फिर भी केन्द्रीय कर्मचारियों, प्रमुख उद्योगों तथा निगमों में अपना कार्य काफी आगे है। हमने अपने कार्य विस्तार की दृष्टि से उद्योग प्रमुखों का दायित्व दिया है। न्यूनतम वेतन कमेटी, संविदा सलाहकार बोर्ड तथा कर्मचारी भविष्य निधि कमेटी में अपने विशिष्ट कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

हमने तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय अभ्यासवर्ग हरिद्वार में आयोजित कर अपने कार्यकर्ताओं को बी०एम०एस० की कार्य नीति तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामाजिक दायित्व का बोध कराया है।

हमारा विचार मजदूरों, छात्रों, नौजवानों तथा किसानों में तेजी से बढ़ रहा है जो सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा तथा देश को नई दिशा देगा।

डी०डी० शर्मा

प्रदेश अध्यक्ष

राष्ट्र हित ! उद्योग हित !! श्रमिक हित !!!

भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल
Bhartiya Mazdoor Sangh, Uttaranchal

भारतीय मजदूर उत्तरांचल प्रदेश कार्य समिति 2003–2004 तक

1.	अध्यक्ष	श्री डी० डी० शर्मा	–	श्रमिक बस्ती, शीशमहल, काठगोदाम जिला–नैनीताल दूरभाष सं०–04946–266915
2.	उपाध्यक्ष	श्री एस० के० डबराल	–	45/2 कैनाल रोड़, के०सी० पब्लिक स्कूल के सामने जाखन, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष सं०– 0135– 2734744, मो० 9837277079
3.	उपाध्यक्ष	कु० बसन्ती शाही	–	बाल विकास एवं पुष्टाहार केन्द्र गर्मपानी जिला–नैनीताल दूरभाष सं०– 05942–245582
4.	उपाध्यक्ष	श्री रमेश जोशी	–	6/49 तल्ली बमौरी, मुखानी हल्द्वानी, जिला–नैनीताल दूरभाष सं०– 05942–225962
5.	उपाध्यक्ष	श्री बी०एन० प्रसाद	–	एन०एच०पी०सी० कालोनी निगाल पानी, धारुचूला पिथौरागढ़ दूरभाष सं० – 059672–24262
6.	महामन्त्री	श्री सुन्दर लाल उनियाल	–	21, अजबपुर खुर्द, देहरादून दूरभाष सं०–0135–2627002, 9837224595 (मो.)
7.	प्रदेश मन्त्री	श्री कमलेश श्रीवास्तव	–	निकट धर्मपुर चौक, नजदीक बहुगुणा पान के सामने वाली गली में, देहरादून दूरभाष सं०–0135–2650113 कार्या मोबाइल – 9412059700
8.	प्रदेश मन्त्री	श्री हरीश तिवारी	–	क्वार्टर नं० 147, टाइप–III–सेक्टर नं०–1 भेल, रानीपुर, हरिद्वार दूरभाष सं०–01334–222104 (नि०) मोबाइल – 9837307771

9.	प्रदेश मन्त्री	श्री पूरण सिंह बिष्ट	–	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उत्तरांचल परिवहन निगम अल्मोड़ा दूरभाष सं० – 05962–234511 कार्या पी०पी० 04962–233070 निवास
10.	प्रदेश मन्त्री	श्री एस०एस० चौहान	–	126 सैय्यद मौहल्ला नजदीक उपडाकघर चकराता रोड, देहरादून मोबाइल सं०–9412382555
11.	वित्त सचिव	श्री देवदत्त आर्य	–	रक्षापुरम–डी० लाईन लाडपुर–देहरादून दूरभाष सं० – 0135–2789127

मनोनीत सदस्य

1.	श्री महिनारायण झा	–	जे–24 प्रभू निवास, शिवालिक नगर बी० एच० ई० एल० रानीपुर, हरिद्वार दूरभाष सं०–01334–230967 (नि.)
2.	श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल	–	जे–11, ए–अपर रेलवे कालोनी, देहरादून दूरभाष सं०–0134–2773614 (नि.) मोबाइल – 9412056755

महिला विभाग प्रमुख

1.	कु० बसन्ती शाही	प्रमुख	–	गर्मपानी, नैनीताल।
2.	श्रीमती निशा सक्सेना	उप्रमुख	–	क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उत्तरांचल परिवहन निगम काठगोदाम, जिला नैनीताल। दूरभाष सं०–05946–222010 कार्य 05946–234235

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य/जिलामन्त्री

1.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	शुगर	–	प्रदेश अध्यक्ष, उत्तरांचल चीनी मिल मजदूर संघ, चीनी मिल कोलनी, काशीपुर, जिला, जिला–उधम सिंह नगर 244713 दूरभाष सं० 25947–279187
2.	श्री पूरण चन्द चौबे	सोयबीन	–	सोयाबीन एवं वनस्पति काम्पलैक्स हल्यूचौड़ा, जिला–नैनीताल दूरभाष सं०– 05945–268766

3.	श्री बी० के० देवरा	रक्षा	–	मकान नं० 175/2, ओल्ड टाइप–II स्टेट, ओ०एल०एफ०–रायपुर, देहरादून दूरभाष सं०–0135–2789288 (नि.)
4.	श्री सन्तलाल	दूरसंचार	–	बी०एस०एन०एल० कार्यालय गोपेश्वर–जिला–चमोली। दूरभाष सं०–01372–252655 (नि.)
5.	श्री अनिल श्रीवास्तव	शुगर	–	चीनी श्रमिक संघ किच्छा शुगर मिल जिला–उधमसिंह नगर। दूरभाष सं०–05944–263537
6.	श्रीमती प्रभा फर्त्याल	आंगनवाडी	–	ग्राम–चमोली पो०ओ०–दिलखौली, रानीखेत, अल्मोड़ा दूरभाष सं०–05963–222649
7.	श्री जोधा सिंह रावत	एल०आई०सी०	–	ग्राम–भगवानपुर जैसिंह पो०ओ०–हरिपुर नायक हल्द्वानी–जिला–नैनीताल दूरभाष सं०–05946–261537 मोबाइल 9412306541
8.	श्री नारायण दत्त पाण्डे	जलसंस्थान	–	ग्राम–वहाली कांडा, आई०टी०आई० पो०ओ०–घिगारी टोला, बागेश्वर–246401
9.	श्री सुरेश चन्द्र प्रजापति	बी.एच.ई.एल.	–	एम–64 शिवालिक नगर बी.एच.ई.एल. रानीपुर, जिला–हरिद्वार–249403 दूरभाष सं०–01334–234183
10.	श्री हरीश राणा	जी.एम.ओ.यू.	–	जी.एम.ओ.यू. श्रमिक संघ कोटद्वार–जिला–पौड़ी गढ़वाल दूरभाष सं०–01382–22769
11.	श्रीमती रैठी सोनी	आंगनवाड़ी	–	आगंनवाड़ी केन्द्र, पो०ओ० मतली उत्तरकाशी– (संयोजक)
12.	श्री वेदीलाल टमटा	दूरसंचार	–	बी०एस०एन०एल० कार्यालय रुद्रप्रयाग– (संयोजक)
13.	श्री आर०डी०सेमवाल	परिवहन निगम	–	आर०एम० कार्यालय उत्तरांचल परिवहन निगम टनकपुर, जिला–चम्पावत (संयोजक)

उद्योग प्रमुख

1.	श्री डी०डी० शर्मा जी	–	परिवहन, विद्युत, जलसंस्थान, जलनिगम, ऊर्जा निगम, अनुसूचित जनजाति निगम, कुमाऊँ/गढ़वाल, गढ़वाल विकास निगम एवं जालागम उद्योग कर्मचारी कल्याण निगम
2.	श्री एस०के० डबराल	–	वित्तीय संस्थायें, बैंक, बीमा, ग्रामीण बैंक उद्योग
3.	श्री केवलानन्द सांगुडी	–	असंगठित क्षेत्र एवं आंगनवाड़ी
4.	श्री अमरेन्द्र नारायण मेहता	–	स्वदेशी जागरण मंच, पर्यावरण
5.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	–	निजी क्षेत्र, इन्जिनियर, शुगर, दुकान।
6.	श्री वी०एन० प्रसाद	–	सार्वजनिक प्रतिष्ठान (केन्द्र एवं राज्य) स्कूल।
7.	श्री एस०एस० चौहान	–	सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (केन्द्र एवं राज्य) सरकारी कर्मचारी स्वायतशासी उद्योग एवं सचिवालय कर्मचारी

प्रदेश महासंघ के महामन्त्री

1.	श्री मोती राम	दूरसंचार	37, नई बस्ती, तेग बहादुर रोड, देहरादून दूरभाष सं०–0135/2675000 मोबाइल–9412050500
2.	श्री दान सिंह सूर्या	परिवहन	उत्तरांचल परिवहन निगम कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिपो, हल्द्वानी जिला–नैनीताल।
3.	श्री मानस मिश्रा	शुगर	उत्तरांचल चीनी मिल मजदूर संघ गदरपुर चीनी मिल गदरपुर, जिला–उधमसिंह नगर दूरभाष सं०–05949/271284
4.	श्रीमती गीता दरम्वाल	आंगनवाड़ी	उत्तरांचल आगंनवाड़ी कर्मचारी संघ पो०ओ०–मल्ला रामगढ़, नैनीताल दूरभाष सं० 05946/281190
5.	श्री सुरेश गर्ग	बी०एच०ई०एल०	क्वार्टर नं० 25 ऋषिकुल विद्यापीठ हरिद्वार 249401 दूरभाष सं० 01334/221329

6.	श्री अमरेन्द्र नारायण मेहता	आई.डी.पी.एल.	राष्ट्रीय श्रमिक संघ कार्यालय क्वाटर नं. ए – 1611, आई०डी०पी०एल० टाउनशाप वीरभद्र, ऋषिकेश देहरादून–248001 दूरभाष सं० 0135/2450742 (नि.)
7.	श्री केवलानन्द सांगुडी	एच.एम.टी.	सद्भावना कोलनी, ब्लाक सी–लालडांड हल्द्वानी, जिला–नैनीताल दूरभाष सं०–05946/228196
8.	श्री कालीचरण सोलंकी	विद्युत	नगरीय विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय
9.	श्री कुन्दन लाल शर्मा	डाकतार विभाग	मुख्य डाकघर कचहरी कम्पाउन्ड गोपेश्वर जिला–चमोली

क्षेत्र प्रमुख

1.	हरीश तिवारी	हरिद्वार जिला टिहरी गढ़वाल जिला उत्तरकाशी जिला।
2.	श्री कमलेश श्रीवास्तव	देहरादून (ऋषिकेश सहित) पौड़ी गढ़वाल जिला रुद्रप्रयाग
3.	श्री पूरण सिंह	अल्मोड़ा जिला बागेश्वर जिला पिथौरागढ़ जिला।
4.	श्री रमेश चन्द जोशी	नैनीताल उधम सिंह नगर चम्पावत

पूर्णकालिक

1.	श्री डी०डी० शर्मा	प्रदेश अध्यक्ष
2.	श्री सुन्दर लाल उनियाल	प्रदेश महामन्त्री
3.	श्री कमलेश श्रीवास्तव	प्रदेश मन्त्री

श्रम संकल्प 2004

दैनिक व्यवहार में आने वाले महत्वपूर्ण

श्रमिक अधिनियम

1. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम -- 1923 (द वर्कमेन्स कम्पनसेसन एक्ट 1923)
2. भारतीय बायलर अधिनियम – 1923 (द इंडियन बायलर एक्ट 1923)
3. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम – 1933 (द चिल्ड्रन्स प्लीडिंग्स आफ लेबर एक्ट–1933)
4. व्यवसाय संघ अधिनियम – 1926 (द ट्रेड यूनियन एक्ट–1926)
5. मजदूरी संदाय अधिनियम – 1926 (द पेमेन्ट आफ वेज एक्ट–1926)
6. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 (द इंडस्ट्रीज इम्प, एक्ट 1946)
7. औद्योगिक विवाद अधिनियम – 1947 (इंडस्ट्रीयल डिस्पूट्स एक्ट–1947)
8. कारखाना अधिनियम – 1948 (द फैक्टरीज एक्ट 1948)
9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम – 1948 (द इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948)
10. नियोजक दायित्व अधिनियम – 1938 (द इम्पलायर लाईब्लिटी एक्ट 1938)
11. साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम 1942 (द विकली हालीडेस एक्ट 1942)
12. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 (द कोल माईन्स लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1947)
13. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (द इम्पालाईज प्रोव्हिडेंट फंड एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952)
14. घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 (द फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1955)
15. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 (द बीड़ी एण्ड सिगार एक्ट 1966)
16. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 (द कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970)
17. बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम 1976 (द बांडेड लेबर सिस्टम 1976)
18. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (द मैटरनिटी बेनेफिटठ एक्ट 1961)
19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (द मिनिमम वैज एक्ट 1948)
20. बोनस कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 (द बिड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1976)
21. बोनस संदाय अधिनियम 1948 (द पेमेंट आफ बोरस एक्ट 1965)
22. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 (द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कस एक्ट 1961)
23. वैयक्तिक क्षति (प्रतिकार बीमा) अधिनियम 1963 (द पर्सनल इंजुरीस एक्ट 1963)
24. शिक्षु अधिनियम 1961 (द एप्रेन्टिस एक्ट 1961)
25. औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय अधिनियम 1955 (द इंडस्ट्रीयल डिस्पूट्स बैंकिग कंपनीज डिसीजन एक्ट 1955)
26. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवाशर्ते और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955)
27. विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976 (द सेल्स प्रमोशन इम्प्लाईज एक्ट 1976)
28. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (इ इक्कवल रिमूनरेशन एक्ट 1976)
29. श्रम विधि 1988 विवरणी देने और रजिस्टर देखने से कतिपय स्थानों को छूट अधिनियम 1988
30. उपदान संदाय अधिनियम 1972 (द पेमेंट ऑफ ग्रेज्युटी 1972)
31. बाल श्रम (प्रतिषध और विनियमन) अधिनियम 1986 (द चाईल्डस लेबर एक्ट 1986)
32. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (इ इम्पलाईज पेंशन स्कीम 1995)

दरिद्र नारायण सेवा

अमर नाथ डोगरा
राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ एवं
सदस्य, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड
संकलन कर्ता–केवलानन्द सांगुड़ी एचएमटी
रानीबाग (नैनीताल) उत्तरांचल

समाज में आर्थिक विषमता की गहरी खाई विद्यमान है। इसे पाटने के प्रयास पूर्व में भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं किन्तु असमानता जस की तस है। गरीबी उन्मूलन की कार्य योजनाएं बनती हैं किन्तु गरीबी यथावत है, उल्टे निर्धनता के अथाह सागर में समृद्धि के द्वीप निर्मित हो गए हैं। नव आर्थिक सामाजिक रचना की विडंबना यह है कि अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हुए हैं।

समृद्धि का संरक्षण

Poverty anywhere is threat to prosperity everywhere अतः गरीबी नहीं हटती तो अपनी अमीरी सुरक्षित की जाए यह सोच पश्चिमात्य धनाड्य देशों की है। इसके लिए उन्होंने व्यूह रचना के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन, अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उस से जुड़े संस्थानों को अपनी ढाल तथा हित संवर्धन का उपकरण बनाया हुआ है।

गरीबी रेखा से नीचे

सोने की चिड़िया भारत का नाम आज निर्धन देशों की सूची में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष व नौंवी पंचवर्षीय योजना के पश्चात स्थिति यह है कि सौ करोड़ जनसंख्या में से सैंतीस करोड़ देशवासी असंगठित क्षेत्र में जीवनयापन करते हैं इसमें तीन चौथाई गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए अभिशप्त हैं। योजनाएं भारत की आकृति प्रकृति जलवायु जनमानस को ध्यान में रखकर कदाचित ही कभी बनी हों। पश्चिम का औद्योगिक ढांचा और सोच जहां हमारे योजनाकारों के दिलों दिमाग में समाया हो वहां कृषि आधारित ग्रामोद्योग, विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग की उपेक्षा तो होनी हीथी। सो परिणाम हमारे सामने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में बरबाद हो चुका जापान आज समृद्धि और विकसित देशों की पंक्ति में अमेरिका के पश्चात दूसरे क्रमांक पर है। यह कहा जाता है कि जापान निर्धन देश है पर वहां के निवासी समृद्ध हैं वहीं भारत अमीर देश है किंतु निवासी निर्धन है। भारत में प्राकृतिक

संसाधनों की भरमार है वहीं जापान सभी प्रकार का कच्चा माल विदेशों से मंगाता है। स्पष्ट है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा का त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण लाभ नहीं उठा सके हैं।

असंगठित क्षेत्र नारकीय जीवन

भारत की सैंतीस करोड़ याने एक तिहाई जनता असंगठित क्षेत्र में वनवासी, गिरीवासी, बंजारे, खेत मजदूर, मछुआरे, बीड़ी उद्योग व निर्माण कार्य, कुली, रिक्शा चालक, ढाबा व घरेलू कामगारों आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। बाल, वृद्ध और महिला कामगार नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जहां एक चोथाई जनसंख्या दो समय का भोजन भी न जुटा पाती हो वहां स्वच्छ पेयजल, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क मार्ग एवं बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं तो जागृत सपने सी लगती हैं। लोग भूख से मर रहे हैं दूसरी ओर गोदामों में अनाज सड़ रहा है। इससे बढ़कर व्यवस्था पर करारा व्यंग्य क्या हो सकता है? वैसे आज तक असंगठित क्षेत्र से संबंधित लगभग डेढ़ सौ नियम/अधिनियम अस्तित्व में हैं और केन्द्रीय सरकार के करीब तेरह मंत्रालय सीधे अथवा परोक्ष रूप में इस क्षेत्र के कल्याण कार्यो को देख रहे हैं। किन्तु यथार्थ में इनका कार्यान्वयन कहीं दिखाई नहीं देता। कागज पर कानून अधिनियम तथा कल्याणकारी योजनाएं बहुत हैं पर कार्यान्वयन यंत्र मशीनरी नगण्य हैं। राज्य सरकारों द्वारा की जा रही उपेक्षा सर्वविदित है।

असंगठित क्षेत्र विधेयक

आजादी के पचास वर्ष पश्चात कदाचित यह प्रथम अवसर है जब केन्द्रीय श्रम मंत्री असंगठित क्षेत्र को लेकर वास्तव में चिंतित हैं और गंभीरतापूर्वक इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक 2003 में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, पेंशन आदि की व्यवस्था तो है ही इसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त यंत्र निर्माण की रूपरेखा भी है। भारतीय श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र ने इस बिल पर सर्वसहमति व्यक्त की है।

बिल की प्रमुख विशेषताएं हैं :–

क. यूनिवर्सल हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार (5 सदस्य) को वर्ष भर में रु. 30,000/– तक का चिकित्सा लाभ

ख. प्रत्येक श्रमिक का एक लाख तक धनराशि का जीवन बीमा

ग. साठ वर्ष आयु उपरांत प्रत्येक श्रमिक को रु. 500/– मासिक पेंशन और मृत्युपरांत उसके परिवार को पेंशन

घ. श्रमिक की सुविधा हेतु वर्कर्स फैसीलिटेशन सैंटर

ड. प्रत्येक श्रमिक तथा नियोक्ता को सोशल सिक्यूरिटी कार्ड, भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और निधि का लाभ श्रमिक को प्राप्त हो इसका प्रबंध किया जाएगा।

योजना एवं बजट

केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया है कि प्रथम चरण में असंगठित क्षेत्र के लगभग 50 लाख श्रमिक उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत लाभान्वित होंगे जिसके लिए 1068/– करोड़ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी और केन्द्रीय श्रम मंत्रालय विभिन्न संसाधनों से इसे जुटा लेगा।

असंगठित क्षेत्र बीमा योजना

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने भी सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की घोषणा की है जिसे असंगठित क्षेत्र पर भी लागू किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 100 अथवा अधिक परिवार समूहों के लिए उपलब्ध है। पालिसी में किसी कामगार की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार को रु. 25,000/– तथा चिकित्सालय में भर्ती व्यय रु. 30,000/– तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। एक रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व पांच सदस्यों के परिवार (तीन बच्चों सहित) डेढ़ ·नया प्रतिदिन अंशदान है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सरकार रु. 100/– प्रति परिवार प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करेगी।

समग्र विचार चिंतन

केन्द्रीय श्रम तथा वित्त मंत्रालय की सक्रियता से लगता है कि इस क्षेत्र से दरिद्रता मिटाने के गंभीर प्रयासों का श्री गणेश हुआ है। सामाजिक व ट्रेड यूनियन संगठन भी सक्रिय हुए हैं और जनमानस में जागृति का स्फुरण हुआ है। यह उपाय आश्वस्त करते हैं कि अब सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं किन्तु क्या यह पर्याप्त है। असंगठित क्षेत्र विराट है। सदियों से त्रस्त और शोषणग्रस्त है। उसके लिए टुकड़ों–टुकड़ों में विचार करने से अपेक्षित लाभ नहीं होगा। एक समग्र विचार दर्शन व चिंतन की आवश्यकता है। अतः :–

क. काम के अधिकार को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्य किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कम से कम स्वास्थ्य सेवा, प्रसूति, चोट, दुर्घटना, बीमारी, शिशु देखभाल, आश्रय स्थान और वृद्धावस्था सहायता व समुचित देखरेख।

ख. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जिसमे रोजगार सृजन व संरक्षण, निर्धनता व संगठनहीनता एवं शोषण से बचाव का पक्का प्रबंध हो। एकतरफा बर्खास्तगी, न्यूनतम मजदूरी और भुगतान में विलंब से संरक्षण मिले।

ग. असंगठित क्षेत्र की विशालता और व्यापक अन्याय व शोषण के दृष्टिगत असंगठित क्षेत्र श्रमिक बोर्ड का अविलंब गठन किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय के अधीन सामाजिक सुरक्षा का विभाग बनाया जाना चाहिए।

घ. संगठित क्षेत्र से मुक्त किए जा रहे कर्मकार असंगठित क्षेत्र की वृद्धि कर रहे हैं अतः संगठित क्षेत्र का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ड. सरकारी प्रभाव से मुक्त विलेज कामनवेल्थ अथवा अधिकार संपन्न ग्राम पंचायतों को सक्रिय किया जाना चाहिए।

च. केन्द्र व राज्यों ने एक सामाजिक सुरक्षा फंड का निर्माण करना चाहिए।

छ. सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं का एक स्थान से संचालन तथा नियंत्रण किया जाना चाहिए।

ज. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे गठन किया जाना चाहिए।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग व अन्य सुझाव

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के बारे में अनेक कल्याणकारी एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन पर आधारित असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक 2003 संसद के शीतकाल सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है किन्तु कृषि क्षेत्र के लिये एक अलग विधेयक लाए जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत गांवों में बसता है और जब तक गांव की स्थिति नही सुधरेगी तब तक भारत की वास्तविक प्रगति असंभव है।

सूने गांव

असंगत योजनाओं व सरकार की अदूरदर्शी त्रुटिपूर्ण आर्थिक सामाजिक नीतियों के कारण लोग गांव छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज सूने गांव देख कर दुख होता है। स्पष्ट है कि नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रो की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है और नगरों की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग पांच प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। आज 3 महानगर एक करोड़ तथा 45 नगर दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं जिसका लगभग तीस प्रतिशत निर्धनता रेखा से नीचे है। वर्ष 1975 में कलकत्ता महानगर में एक सर्वेक्षण के अनुसार दो लाख लोग फुटपाथ पर सोते थे जिनकी मासिक आय मात्र 80 रुपये थी। एक करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले महानगर के लिए जल प्रदाय, मल निकासी, स्वच्छता, अस्पताल, अग्नि शमन, सड़क और सड़क प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय, शमशान, उद्यान, खेल के मैदान, रात्रि विश्राम गृह, परिवहन, पाठशालाएं, प्रसूति गृह व गंदी बस्तियों के सुधार आदि की व्यवस्था करना विकट समस्या है। जिस गति से ग्रामीण जनता

आज नगरों की ओर दौड़ में शामिल है उससे आगामी कुछ वर्षों के पश्चात महानगरों और नगरों की सभी व्यवस्थाएं आबादी के बोझ तले दब जाएंगी। इस विराट समस्या की ओर योजनाकारों का पहले भी और आज भी ध्यान नहीं है। गांव की जनता गांव ही में रहे इसके लिए उसके रोजगार, सुख–सुविधाएं जो शहरों मे उपलब्ध हैं उन्हें गांव ही में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संदर्भ में असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक – 2003 ने एक नई आशा की किरण जगाई है। सामाजिक सुरक्षा की परिधि में ग्राम और ग्रामोत्थान लक्ष्य रहा तो अन्त्योदय की संकल्पना निश्चित ही साकार हो सकेगी।

बाल श्रमिक

बच्चे भारत का भविष्य हैं। यह सभी जानते और कहते हैं किन्तु कुछ भी सार्थक करते नहीं। बालक का बाल समय कारखाने खेत या घर नहीं अपितु विद्यालय में व्यतीत होना चाहिए। बाल शिक्षा को इसलिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। बाल श्रमिक निषेध संबंधी अधिनियम की परिधि को विस्तार देकर सख्ती से परिपालन करवाया जाना चाहिए।

महिला कामगार

मातृशक्ति भारत की शक्ति अस्मिता एवं दृढ़ता की परिचायक ही नहीं अपितु आधार है। उनकी ओर दुर्लक्ष्य करने अथवा उन्हें प्रताड़ित या अपमानित करने का अर्थ सीधे सर्वनाश से जुड़ा है। भारत में महिला का आदिकाल से परिवार समाज व संस्कृति में जो आदरयुक्त उच्च स्थान प्राप्त रहा है सरकारी योजनाएं उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। नारी की गरिमा को ठेस न पहुंचे यह हमारे समाज व सरकार सभी का कर्तव्य है। प्रश्न समता का नहीं समरसता का है। यह पश्चिम के नारी सशक्तिकरण के खोखले नारों से संभव नहीं हो सकता। भारत में नारी को देखने का दृष्टिकोण मातृत्व है और यह विश्व में और कहीं नहीं है। अतः इस भावना के दृष्टिगत उसके कार्य, कार्य स्थान, कार्य का समय, अवकाश, प्रसूति लाभ, शिशु की देखभाल आदि संबंधी अधिनियमों की संरचना की जानी चाहिए।

वृद्धजन

वृद्धजन देश की विभूति हैं गौरव हैं। उनकी देखभाल सेवा का जिम्मा परिवार समाज व सरकार सभी का है और सभी ने मिलकर इस दायित्व का गरिमायुक्त ढंग से निर्वाह करना चाहिए। हमारी परम्परा के अनुरूप वृद्धों का सम्मान व सुख सुविधा का निश्चित प्रबंध होना चाहिए। बाल, वृद्ध तथा महिलाओं के प्रति अपने देश का आदर्श क्या रहा है इसे हमें अर्वाचीन आर्थिक चकाचौंध व उपभोक्तावाद के चलते विस्मृत नहीं होने देना चाहिए।

कार्यकर्ता के लिए

असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार सैंतीस करोड़ बाल, वृद्ध, तरुण, प्रौढ़, नर व नारी जीवनयापन कर रहे हैं। यह सैंतीस करोड़ भारत के देवता हैं, दरिद्र नारायण हैं। आपको या हमें इनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। यह परमेश्वर की हम पर अनुकम्पा है। उनके लिए कुछ भी करके हम उपकार नहीं अपितु स्वयं धन्यता के भागीदार बनते हैं। ऐसे पुनीत कार्य में अपना योगदान आज नहीं अभी से प्रारम्भ करें तो इसमें सभी का कल्याण है। भारत माता अपने पुत्रों से यही अपेक्षा करती है।

भारत का दृष्टिकोण

आर्थिक सामाजिक प्रश्नों की ओर देखने की मूलभूत भारतीय दृष्टि की ओर वर्ष 1937 ठाणें बैठक में परमपूज्य श्री गुरुजी ने इंगित करते हुए कहा था :–

क. प्रत्येक नागरिक को जीवन विषयक प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति।

ख. बेकारी व अर्धबेकारी के विरुद्ध युद्धस्तर पर कार्य।

ग. अधिक से अधिक उत्पादन और न्यायोचित वितरण।

घ. सम्पत्ति जोड़ने की भी कुछ अधिकतम सीमा होनी चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के श्रम का गलत उपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है।

ड. पूंजी प्रधान उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान उद्योगों पर अधिक बल।

च. रोजगार वृद्धि के साथ कार्यक्षमता में भी वृद्धि।

छ. जब लाखों लोग भूख से पीड़ित हों तब अभद्र तड़क–भड़क पाप है। उपभोक्तवाद हिन्दु संस्कृति के आदर्श के अनुरूप नहीं है।

ज. हम समाज के केवल न्यासी हैं। सच्चे न्यासी बनें तभी समाज की उत्कृष्ट सेवा कर सकेंगे।

देश के भाग्य की विडम्बना यह रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की बागडोर उन हाथों में चली गयी जिन्होंने भारतीय मनीषा की उपेक्षा करके पश्चिमी पूंजीप्रधान उद्योगीकरण का अनुसरण करना श्रेयस्कर समझा। जिसके कारण गांव उजड़ गए। ग्रामीण उद्योग धंधे, शिल्पकला, कृषि सब चौपट हुए और असंगठित क्षेत्र का विस्तार हुआ व गरीबी और बढ़ गई। परमपूज्य श्री गुरुजी के उपरोक्त विचार से प्रेरणा लेकर वर्तमान केन्द्र सरकार देश की निर्धनता के मर्म को समझकर उस पर प्रहार करने के लिए उद्यत है, यह शुभ लक्षण है।

कविता

देशभक्त कहलायेंगे !

क्या तुम चुप रहोगे?
जब गीता के देश को
'क्लिनिक' शैम्पू धोएगा और
'कोलगेट; से चमके, विदेशी दांत काटेंगे
भारत का वैभव
क्या तुम चुप रहोगे?
जब 'पेप्सी' की लहर, विदेशी जहर पिलाएगी
और 'यूनियन कार्बाइड' मृत्यु की लहर लाएगी
क्या तुम चुप रहोगे?
जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के वादे
'रिन' के बुलबुलों की तरह फट जायेंगे और
'नैसकैफे' कॉफी की कालिख में दब जायेगी
भारतीय पेय उद्योग की आत्मा
क्या तुम चुप रहोगे?
जब 'फिलिप्स के बल्ब
विदेशी क्रूर रोशनी का अंधेरा
और 'विमको' की माचिसें
जला डालेंगी इतिहास में
पका हुआ हमारा व्यक्तित्व
क्या तुम चुप रहोगे?
जब बच्चों के मुंह से छीना गया दूध
बनकर आएगा 'कैडबरी' की चाकलेट
क्या मीठा लगेगा तुम्हें?
जब विदेशी 'ब्रुक बाण्ड' का टाइगर
उछलेगा स्वदेश चेतना पर
आ गया है दानव बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का
स्वेदशी के दमकते हुए सूर्य से
हम उसकी आंखें चौंधिया देंगे
और उसके मस्तक पर
अपने स्वावलम्बन के ब्रह्मअस्त्र से
करेंगे शक्तिशाली प्रहार
स्वीकार है यह चुनौती, स्वदेशी अपनायेंगे
विदेशी भगायेंगे, देशभक्त कहलायेंगे।

अभिषेक सांगुड़ी
लालढांग हल्द्वानी
जिला नैनीताल उत्तरांचल

"अन्तर अवलोकन"

संगठन जब विस्तार लेता है तो अवांछनीय घटनाएं भी होती हैं। किसी भी राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय संगठन में एक भी अपूर्ण अपवित्र व्यक्ति न तो पैदा होगा और न ही प्रवेश ले सकेगा, इसकी अपेक्षा करना ही बेमानी है। लेकिन सतत् अवलोकन करते हुए दृष्टि जीवन्त रहनी चाहिए। श्रद्धा ही नहीं विवेक भी कायम रहे। औचित्य का समर्थन तथा अनौचित्य का प्रतिकार करने की इच्छा शक्ति बनी रहनी चाहिए। अति श्रद्धा और अति विश्वास प्रकट करना ही जोखिम का कार्य है। इसीलिए नीति का समर्थन तथा अनीति का विरोध करते रहना ही स्वयं की नजरों में स्वच्छ एवं स्वस्थ बने रहने का मूलमंत्र है।

किसी भी प्रकार की सड़न पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम की जानी चाहिए और यदि स्थिति आपरेशन करने की बन जाए तो उसमें भी झिझक या शंका नहीं होनी चाहिए। अनाचार के विरुद्ध यदि हमें अपने मित्र बन्धु अथवा अति आत्मीय का भी विरोध करना पड़े तो निःसंकोच उसका विरोध करना चाहिए। तभी हम स्वयं की नजर में स्वयं को अपराधी होने से बचा सकते हैं। यही अन्तर अवलोकन है।

देवदत्त आर्य
प्रदेश वित्त सचिव

सुखी मानव-सुखी भारत

हमें मानव का सुख अभिप्रेत है। सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान से सैंतीस करोड़ भारतवासियों को वंचित रखकर भारत के उत्कर्ष की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। वह जो भूखे, नंगे, बीमार, अपाहिज, वेदनाओं से जर्जर कंगाल चलते फिरते पिंजर दिखते हैं वह भी मनुष्य हैं। उन्हें मनुष्य के नाते जीने का अधिकार है और उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हों, यह संकल्प करने की आवश्यकता है।

'आओ जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है।'

1973, 'गुरुजी'

संख्या : 6462/श्रम सेवा/ 693/श्रम/2002

प्रेषक,

श्री मधुकर गुप्ता
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल

श्रम सेवायोजन एवं प्रशिक्षण विभाग देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2002

विषय : "जनश्री" सामूहिक बीमा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

महोदय,

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा स्वतः रोजगार में लगे व्यक्तियों तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों के मुखिया की असामायिक मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेन के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के स्थान पर नई आकर्षक तथा बहुलाभकारी सामूहिक बीमा योजना "जनश्री" जीवन बीमा निगम द्वारा प्रारम्भ की गयी ह। इस योजना का संचालन भारत सरकार/राज्य सरकार व भारतीय बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं।

हितलाभ :

1. सदस्य की सामान्य मृत्यु की दशा में नामित को रुपये 20,000/– देय होंगे।
2. सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में रुपये 50,000/– देय होंगे।
3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम हो जाने पर रुपये 25,000/– देय होंगे।

प्रीमियम :

प्रारम्भ में प्रति सदस्य रुपये 200/– का वार्षिक प्रीमियम देय होगा जिसके 50 प्रतिशत का भुगतान सदस्य द्वारा नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत भारत–सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से सुरक्षा–निधि से वहन किया जायेगा।

अतिरिक्त हितलाभ :

उपरोक्त योजना के लाभों को विस्तारित करते हुए शिक्षा सहयोग योजना प्रारम्भ की गयी है जिससे "जनश्री" बीमा योजना के प्रत्येक लाभार्थी के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् अधिकतम दो बच्चों को रुपये 100/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्राविधान है। "जनश्री" बीमा योजना

महान उद्देश्य से युक्त एक बहुलाभकारी योजना है जिसका समुचित प्रचार–प्रसार कर समाज के पिछड़े वर्गों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना का उत्तरांचल में क्रियान्वयन अभी तक नाम मात्र हुआ है। इस योजना के संचालन का दायित्व भारत सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदान किया गया है तथा निगम इस राज्य के प्रत्येक जनपद में समुचित प्रचार के लिये होर्डिंग एवं वालपेंटिंग आदि द्वारा करा रहा है। उत्तरांचल के विभिन्न समूह के व्यक्तियों को व्यापक रूप से लाभान्वित करने हेतु इस योजना को व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2002–2003 हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद का अपेक्षित लक्ष्य 10,000 है, इस कार्य हेतु प्रभारी पेंशन एवं समूह बीमा शाखा देहरादून द्वारा प्रत्येक कार्य जैसे प्रपत्र इत्यादि व प्रचार सामग्री उपलब्ध किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्य–योजना तैयार किया जाना है:–

1. सम्पूर्ण उत्तरांचल में जिन कस्बों में रिक्शा, ठेला संचालित है उन सभी कस्बों में रिक्शा चालकों और ठेला चालकों के कम से कम 25–25 व्यक्तियों के समूह बनाकर "जनश्री" योजना के अन्तर्गत बीमित किया जायेगा। जैसे टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, किच्छा, ऊधमसिंहनगर, हल्द्वानी, लालकुआ, नैनीताल, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, रामनगर, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, सहसपुर, विकासनगर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की आदि समस्त नगरों के संबंधित नगर निगम, नगर पालिका एवं टाउन एरिया, नोडल एजेंसी होंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा योजना के क्रियान्वयन का समन्वय किया जायेगा।
2. नैनीताल, भीमताल के नाविकों तथा नैनिताल, मसूरी के घोड़े वालों के समूह बनाकर बीमा किये जायेंगे जिनका नोडल एजेंसी ससंबंधित नगर पालिकायें होंगे।
3. वन निगम के असंगठित/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के बीमा करने के लिये नोडल एजेंसी वन–निगम होगा।
4. नगर निगम/नगर पालिकाओं के सफाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (अनियमित) चाय पान के दुकानदार तथा छोटे दुकानदार मोटर गैराज तथा समस्त होटलों के श्रमिकों का भी समूह बनाकर बीमा कराया जायेगा, जिनका नोडल एजेंसी श्रम विभाग होगा।
5. सब्जी फल बेचने वालों के बीमा कराये जायेंगे जिनके नोडल एजेंसी जहां मण्डी होंगे वहां मण्डी परिषद नोडल एजेंसी होगा तथा अन्य जगह जहां मण्डी नहीं है वहां पर नोडल एजेंसी नगर पालिका/टाउन एरिया रहेगा।
6. टैक्सी, कैब, आटो, टैम्पो, ट्रक तथा बसों के चालक, परिचालक तथा क्लीनरों के बीमा कराने के लिए परिवहन विभाग नोडल एजेंसी रहेगा।
7. हैचरी तथा डेयरी में लगे हुए श्रमिकों के बीमा के लिए नोडल एजेंसी पशुपालन विभाग होगा।
8. खनन कार्य श्रमिकों के बीमा के लिए राजस्व विभाग नोडल एजेंसी होगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कृषकों तथा स्वतः रोजगार में लगे व्यक्तियों के बीमा हेतु ग्राम विकास विभाग नोडल एजेंसी होगा।
10. डी.जी.बी.आर. के कैज्युअल श्रमिकों के बीमा के लिये डी.जी.बी.आर. ही नोडल एजेंसी होगा, इसी प्रकार टी.एच.डी.सी., एन.एच.पी.सी. तथा असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के बीमा के लिये वे ही नोडल एजेंसी होंगे।
3. "जनश्री" योजना का कार्यान्वयन तत्काल पूरे प्रदेश में प्रारम्भ कर दी जाये, तथा वर्ष में एक बार प्रत्येक जनपद स्तर पर बीमा–मेला भी आयोजित किया जाये।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम उपरोक्त समस्त नोडल एजेंसी को निर्धारित बीमा फार्म उपलब्ध करायेंगे, जिसकी एक प्रति भरने तथा धन जमा करने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजी जायेगी, एक प्रति नोडल विभाग के पास रहेगी तथा एक प्रति बीमित व्यक्ति को दी जायेगी। सरकारी नोडल विभाग बीमित व्यक्ति से प्राप्त धनराशि प्रत्येक 10 दिन के बाद समस्त धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को भरे हुए फार्म के साथ हस्तान्तरित कर देंगे। शाखा स्तर पर विभिन्न विभागों का लक्ष्य पृथक से निर्धारित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस योजना को शत–प्रतिशत सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत रुचि के साथ–साथ योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाये, तथा योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए पूरे मनोभाव से श्रमिकों को भी प्रेरित किया जाये।

शासन स्तर पर श्रम विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग होगा। श्रम विभाग प्रतिमाह इस योजना की नियमित समीक्षा व अनुश्रवण कर प्रगति आख्या प्रस्तुत करेगी।

भवदीय
(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तरांचल
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी
3. निदेशक, स्थानीय निकाय
4. कमान्डर, बी.आर.टी.एफ.
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, टी.एच.डी.सी., एन.एच.पी.सी. उत्तरांचल
6. वरिष्ठ मंडल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम देहरादून, हल्द्वानी, उत्तरांचल

कर्मचारी पेंशन योजना

अनिल कुमार श्रीवास्तव
जिला मंत्री, चीनी मिल मजदूर संघ किच्छा,
जिला उधमसिंह नगर

1. **परिचय :**

कर्मचारी पेंशन योजना 1995, 1–4–1993 से पूर्व व्याप्ति आधार पर 16–11–1995 से लागू की गई है। यह नयी योजना परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर तैयार की गयी है।

2. **सदस्यता :**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का प्रत्येक सदस्य, जिसने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के लिए विकल्प दिया हो।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में आने वाले सभी नए व्यक्ति अनिवार्य रूप से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य होंगे।

प्रत्येक कर्मचारी जिसकी 1–4–93 से 15–11–95 के दौरान कर्मचारी परिवारी पेंशन योजना 1971 की सदस्यता समाप्त हो चुकी हो, को 31–3–93 तक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का सदस्य बनाने का विकल्प दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का वर्तमान सदस्य जो परिवार पेंशन योजना 1971 का सदस्य नहीं था, कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य होने के लिए विकल्प दे सकता है।

3. **विकल्प अपेक्षाएं :**

1–4–93 से 15–11–95 के दौरान जिन सदस्यों की मृत्यु हुई है उन्हें मृत्यु की तिथि से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने के लिए दिया गया विकल्प ही समझा जाएगा।
सदस्य जो जीवित हैं और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का सदस्य बनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं वे पैसा निकालने की तिथि से 8.5 प्रतिशत की दर से राशि जमा करवाकर नौकरी छोड़ने की तिथि से सदस्य बन सकते हैं। सदस्य समाप्त हो गई कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 जो 1–3–1971 से प्रभावी थी, के अंतर्गत ब्याज सहित अंशदान जमा करवाकर भी कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य बन सकते हैं।

4. अंशदान :

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत कर्मचारी को पृथक रूप से अंशदान करना जरूरी नहीं है। नियोक्ता द्वारा दिया गया भविष्य निधि अंशदान 8.33 प्रतिशत प्रत्येक मास पेंशन निधि में डाल दिया जाता है।

5. पेंशन हेतु सेवा अवधि :

16–11–95 के पश्चात की गई सेवा अवधि को समाप्त परिवार पेंशन योजना 1971 के अंतर्गत दिया गया अंशदान तथा सेवा अवधि यदि कोई है तो उसको भी पेंशन हेतु सेवा समझा जाएगा।

58 वर्ष की आयु पूर्ण होने तथा 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के पश्चात व्यक्ति पेंशन हेतु पात्र है।

6 मास या उससे अधिक की सेवा को एक वर्ष माना जाएगा तथा 6 मास से कम की सेवा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

6. पेंशन योग्य वेतन : कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता से मुक्त होने की तिथि से अंश दर के आधार पर की गई सेवा सहित पहले के 12 मास के दौरान प्राप्त वेतन का औसत होगा। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा पांच हजार रुपये प्रतिमाह होगी।

7. लाभ मासिक सदस्य पेंशन : जिस सदस्य ने 10 वर्षों तक कम से कम पेंशन योग्य वेतन प्राप्त किया है और उसकी आयु 58 वर्ष हो चुकी है तो उसे मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर तैयार की जाएगी :–

$$\text{सदस्य की मासिक पेंशन} = \frac{\text{पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा}}{70}$$

पेंशन योजना प्रमाण पत्र

जिस सदस्य ने वार्धक्य की आयु पूरी नहीं की है उसे सेवा से बाहर होने की तिथि पर पेंशन राशि को दिखाते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र में दी गई सेवा की अवधि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत लाई गई स्थापना में सदस्य द्वारा पुनः यदि कोई नई सेवा की जाती है तो उसे पेंशन निर्धारित करने में जोड़ा जाएगा।

अशक्तता पेंशन :

नौकरी के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपंगता होने पर सदस्य अशक्तता पेंशन का पात्र है। ऐसा सदस्य नियमानुसार न्यूनतम 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। एक माह के

अंशदान पर भी सदस्य इस श्रेणी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए सदस्य को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अशक्तता/अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

विधवा/विधुर पेंशन : सदस्य की विधवा/विधुर सदस्य की मृत्यु की तारीख से पेंशन का/की पात्र होगा/होगी चाहे मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो अथवा नौकरी से बाहर होने पर या सेवानिवृत्ति के बाद हुई हो। सेवा निवृत्ति से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने की दशा में जितनी पेंशन को प्राप्त करने का वह पात्र था, विधवा/विधुर पेंशन कम से कम रुपये 250/– सदस्य की पेंशन के बराबर होगी। सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर विधवा/विधुर की पेंशन सदस्य की पेंशन की आधी होगी पर न्यूनतम 250/– रुपये से कम नहीं होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत पेंशन जीवन भर अथवा पुनर्विवाह जो भी पहले हो, दी जाएगी।

''यह लाभ विधवा/विधुर जो भी हो, उस पर लागू होगा।''

शिशु पेंशन :

मृतक सदस्य के दो बच्चे, विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त 25 वर्ष की आयु तक शिशु पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। प्रत्येक शिशु के पेंशन की राशि विधवा/विधुर को देय राशि का 25 प्रतिशत होगी किन्तु यह राशि न्यूनतम 115/– रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

अनाथ पेंशन :

अनाथ बच्चों को विधवा/विधुर पेंशन की राशि के 75 प्रतिशत के समान मासिक अनाथ पेंशन न्यूनतम 170/– रुपये प्रतिमाह देय होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम दो अ नाथ बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाएगी।

नामित पेंशन :

यदि सदस्य अविवाहित है अथवा उसका परिवार नहीं है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत सदस्य यह लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। सदस्य की मृत्यु होने की अवस्था में वह नामित व्यक्ति विधवा/विधुर पेंशन के समान पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

8. पेंशन का रूपान्तरण :

पेंशन का रूपान्तरण 16 नवम्बर 1998 से प्रारम्भ है। सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत वार्धक्य निवृत्ति पर पेशन का अधिकतम एक तिहाई तक रूपान्तरण करने के लिए विकल्प दे सकता है। रूपान्तरण पेंशन राशि सौ गुणा होगी। पेंशन का शेष भाग रूपान्तरण के बाद माहवार दिया जाएगा।

9. पूंजीगत वापसी :

वार्धक्य निवृत्ति पर मासिक पेंशन के पात्र सदस्य घटी दर पर पेंशन का विकल्प दे सकते हैं और पहले से प्राप्त कर रहे रूपांतरित पेंशन के अतिरिक्त 'पूंजीगत वापसी' भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना इस श्रेणी के अंतर्गत तीन विकल्प प्रदान करती है।

10. निकासी लाभ :

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अधीन केवल वही सदस्य निकासी लाभ प्राप्त करने का हकदार है जिसने 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक कम से कम दस वर्षों की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण नहीं की हो।

11. पेंशन लाभ की गारन्टी :

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अधीन सदस्य नियोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा न करने पर भी लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। नियोक्ता पर बकाया राशि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत अलग से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा वसूल की जाएगी।

12. बैंकों के माध्यम से पेंशन की अदायगी :

पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन वितरण के लिए विशेष राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों को विस्तृत कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। सदस्यों को उस बैंक में खाता खोलना जरूरी है जहां से वह पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं और फार्म संख्या 10 घ में आवेदन पत्र में विकल्प देते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन के वितरण हेतु निम्नलिखित बैंकों को चिन्हित किया गया है :–

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र बैंक
		2. भारतीय स्टेट बैंक
2.	बिहार	1. पंजाब नेशनल बैंक
3.	दिल्ली	1. पंजाब नेशनल बैंक
		2. भारतीय स्टेट बैंक
4.	गुजरात	1. देना बैंक
5.	हरियाणा	1. पंजाब नेशनल बैंक
		2. भारतीय स्टेट बैंक
6.	हिमाचल प्रदेश	1. पंजाब नेशनल बैंक
		2. भारतीय स्टेट बैंक

7.	केरल	1. केनरा बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
8.	कर्नाटक	1. केनरा बैंक
9.	महाराष्ट्र	1. बैंक ऑफ इंडिया 2. पंजाब नेशनल बैंक
10.	मध्य प्रदेश	1. पंजाब नेशनल बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. पंजाब नेशनल बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
12.	उड़ीसा	1. बैंक ऑफ इंडिया 2. भारतीय स्टेट बैंक
13.	पंजाब	1. पंजाब नेशनल बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
14.	राजस्थान	1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर 2. पंजाब नेशनल बैंक
15.	तमिलनाडु	1. इंडियन बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
16.	उत्तर प्रदेश	1. पंजाब नेशनल बैंक 2. भारतीय स्टेट बैंक
17.	पश्चिम बंगाल	1. पंजाब नेशनल बैंक 2. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया

13. मूल्यांकन :

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में प्रतिवर्ष मूल्यांकन का प्रावधान किया है। बीमांक द्वारा पेंशन निधि का प्रथम मूल्यांकन 4 प्रतिशत वृद्धि के रूप में नियत किया गया।

14. नियोक्ताओं के कर्तव्य :

प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रारम्भ होने के 3 माह के अन्दर कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए पात्र कर्मचारियों की समेकित विवरणी जिसमें मूल वेतन तथा अन्य संबंधित ब्योरे दिये गये हों, भविष्य निधि आयुक्त को भेजेगा। परन्तु यदि कोई कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने का पात्र नहीं है तो नियोक्ता शून्य विवरणी भेजेगा।

– प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर एक विवरणी भविष्य निधि आयुक्त को भेजेगा जिसमें पिछले माह के दौरान कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने तथा उक्त अवधि के दौरान नए कर्मचारियों द्वारा नौकरी प्राप्त करने का ब्योरा दिया गया हो।

यदि पिछले माह के दौरान किसी कर्मचारी के नौकरी नहीं छोड़ी है या नए कर्मचारी ने नौकरी प्राप्त नहीं की है तो नियोक्ता 'शून्य' विवरणी भेजेगा।

– प्रत्येक नियोक्ता उसके द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि में दिए गए अंशदान की राशि के संबंध में ऐसे लेखे रखेगा जैसा कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि समय–समय निर्देशित करे तथा प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि कर्मचारी पेंशन निधि से कर्मचारियों को ऐसे लाभ दिलाने में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की सहायता करे।

– केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ताओं को ऐसे निर्देश जारी करेगी जैसा वह सामान्य तथा आवश्यक समझे या योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए जरूरी हो तथा प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

15. **ठेकेदारों के कर्तव्य :** प्रत्येक ठेकेदार नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 दिन के अन्दर मुख्य नियोक्ता की स्थापना के कार्य के संबंध में उसके द्वारा या माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में तथा जिसके संबंध में कर्मचारी पेंशन निधि का अंशदान देय है, के ब्योरे को दर्शाने वाली विवरणियां मुख्य नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को ऐसी सूचना भी मुख्य नियोक्ता को देनी आवश्यक है जैसा कि भविष्य निधि आयुक्त को इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत देना जरूरी है।

16. **योजना से छूट :** किसी स्थापना या स्थापना वर्ग को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संचालन से पैरा 39 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्रदान की जा सकती है बशर्ते ऐसी स्थापनाओं के कर्मचारी या तो किसी अन्य पेंशन योजना के सदस्य बनाने प्रस्तावित हों तथा पेंशन लाभ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लाभों के बराबर या अधिक अनुकूल हों। इस पैराग्राफ के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए नियोक्ता स्थापनाओं की पेंशन योजना की प्रतिलिपि और अन्य अपेक्षित कागजातों के साथ उस क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थापन अथवा स्थापना वर्ग आता है। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इसकी छानबीन करेगा तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सिफारिश प्राप्त करेगा तथा इसे समुचित सरकार को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।

17. **पेंशन अनुभाग :** प्रत्येक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में एक पेंशन अनुभाग है जिसका मुखिया पेंशन नियंत्रक होता है। पेंशन अनुभाग स्वतंत्र रूप से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से संबंधित मामलों पर ध्यान देता है।

18. सदस्यों के प्रयोग के लिए फार्म : कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत सदस्यों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित फार्म निर्धारित किए गये हैं :–

फार्म 2 – सदस्य के परिवार तथा नामित का ब्योरा देने हेतु प्रयोग में लाया जाय।

फार्म 10 ग – निकासी लाभ का दावा करने हेतु प्रयोग में लाया जाय।

फार्म 10 घ – मासिक पेंशन/योजना प्रमाणपत्र का दावा करने हेतु प्रयोग में लाया जाय।

ये सभी फार्म नियोक्ता के माध्यम से या देश के भविष्य निधि कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों से निशुल्क में प्राप्त किए जा सकते हैं।

सदस्यों के अनुपालन हेतु

1. फार्म के साथ संलग्न अनुदेशों को फार्म भरने से पूर्व ध्यान से पढ़ा जाये।
2. बचत बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम, पता सहित स्पष्ट बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये।
3. फार्म उस पूर्व नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जहां स्थापन/उद्योग कार्यरत हैं।
4. पूर्व नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के मामले में, सत्यापन करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
5. दावे संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को सीधे भेजे जाने चाहिये।
6. किसी प्रकार की पूछताछ/ सूचना के लिए संबंधित भविष्य निधि कार्यालय के लोक सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क करें।
7. भविष्य निधि कार्यालय द्वारा भविष्य निधि दावों पर मांगा गया स्पष्टीकरण पूर्व नियोक्ता के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
8. किसी प्रकार की शिकायत के मामले में, संबंधित भविष्य निधि कार्यालय के लोक सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से शिकायत करें।

सदस्यो के न करने योग्य बातें :

1. दावा फार्म में बताये गये बैंक खाते को तब तक बंद न करें जब तक भविष्य निधि कार्यालय से अदायगी प्राप्त नहीं हो जाती।
2. भविष्य निधि दावों का निपटान करवाने के लिए किसी बिचौलिये/परामर्शदाता/अंशकालिक कार्यकर्ता से सम्पर्क न करें।
3. भविष्य निधि मामलों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना के लिए संबंधित भविष्य निधि कार्यालय के लोक सम्पर्क अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारी से सम्पर्क न करें।
4. किसी गलत व्यक्ति को दावा फार्म न दें।

शुभकामनाओं सहित

ऐश्वर्य ट्रेनिंग सेन्टर

महिला प्रशिक्षण केन्द्र

176, अजबपुर (कलां) देहरादून (उत्तरांचल)

हमारे यहाँ सिलाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, ब्यूटिशियन आदि सभी प्रकार के कोर्स की उचित शुल्क पर उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

6 माह के डिप्लोमा कोर्स पर हाबी कोर्स निःशुल्क

प्रो. श्रीमती सुषमा फरासी

शुभकामनाओं सहित :

विद्यार्थी पुस्तक भण्डार

स्कूल, कालेज तथा समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के लिए पधारे।

डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून

With best compliments from :

☎ 2725841 (R)

Bio-Scientific Company

Authorised :-
Stockists of Thomas Baker (Chemical) Ltd.

Dealers :-
All Sorts &
Scientific appliances Biologicals

42, BHANDARI BARGH,
(BLOCK NO.2)
DEHRADUN (U.A)

उत्तराखण्ड वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति (पंजीकृत)
Uttarakhand varishth Nagrik Kalyan Samiti (Regd.)

पंजीकृत कार्यालय–119, स्ट्रीट नं० 4, राजेन्द्रनगर, देहरादून उत्तरांचल

आर० बी० अग्रवाल
प्रदेश अध्यक्ष
चीफ/क्षेत्रीय प्रबन्धक
पंजाब नेशनल बैंक (अ.प्रा.)
119, स्ट्रीट नं. 4, राजेन्द्रनगर, देहरादून
दूरभाष– 2758106, 2757878

जिला आधार प्रतिनिधि
आधार AADHAR
Secretariat of National Council for Older Persons
Commissioned by
Ministry of Social Justice & Empwewrment
Governement of India

एम० एल० शर्मा
प्रदेश महामन्त्री
मुख्य अभियन्ता, (अ.प्रा.)
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
स्ट्रीट नं० 4, राजेन्द्रनगर, देहरादून
दूरभाष–2757594

पदाधिकारीगण

1. श्री आर०बी० अग्रवाल – प्रदेश अध्यक्ष
2. ई०एम०एल० शर्मा – महामन्त्री
3. श्रीमती सावित्री काला, एडवोकेट – वरिष्ठ उपाध्यक्ष
4. डा० एस०के० गुप्ता – वरिष्ठ उपाध्यक्ष
5. डा०एस०सी० मिश्र – वरिष्ठ उपाध्यक्ष
6. श्री सुन्दर लाल उनियाल – उपाध्यक्ष
7. श्रीमती छाया शर्मा – उपाध्यक्ष
8. श्रीमती मोहनी तिवारी – महामन्त्री संगठन
9. श्री एच०डी० भट्ट – वरिष्ठ मंत्री
10. श्री कपूरचन्द – वरिष्ठ मन्त्री
11. श्री के०एल० सचदेवा – कोषाध्यक्ष
12. श्री डी०डी० मेहता – प्रचार मंत्री
13. कै० सतीश कुमार भण्डारी – मन्त्री
14. श्री यू० एस० फर्सवान – मन्त्री

सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं स्नेहयुक्त यह संस्था वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्य हेतु दृढ़ समर्पित है।
-सुन्दरलाल उनियाल

With best compliments from :

HOPETOWN
A RESIDENTIAL SCHOOL FOR GIRLS

HOPETOWN GIRLS' SCHOOL

Rajawala Road (Off Chakrata Road- 19th Milestone)
P.O. Selakui, Dehra Dun- 248 197 India
*** Tel Nos. : 0135-2698021-25, E-mail : hopetown@ vsnl.net**
Correspond at : Hopetown Girls' School EBD Business Centre,
49 Rajpur Road, Dehradun - 248 001 India
* Fax Nos. 0135-2657748, 2658730

श्रम संकल्प पत्रिका के सम्पादन पर
शुभ कामना
व स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना

वेदप्रकाश गुप्ता
एवं
अमरनाथ जोशी

प्रोपर्टी डीलर्स एवं बिल्डर्स

हल्द्वानी जिला नैनीताल
☎ 05946-245233, 9412086151, 9412085039

☎ 230204

अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०, अल्मोड़ा
गणतन्त्र दिवस के शुभअवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं सहित अपने खातेदारों एवं समस्त सहकारी बन्धुओं, नागरिकों का हार्दिक अभिनन्दन करता है।

बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधायें

1. कृषि ऋण वितरण में जनपद में अग्रणी बैंक।
2. नये गृह निर्माण व पुराने गृह के जीर्णोद्धार हेतु ऋण की सुविधा।
3. व्यवसायिक ऋण की सुविधा।
4. वाहन ऋण की सुविधा।
5. वेतनभोगी कर्मचारियों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिए ऋण।
6. राष्ट्रीय बचत-पत्रों के विरुद्ध ऋण।
7. कर्मचारियों को वेतनभोगी सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण।
8. स्वय सहायता समूहों के माध्यम से ऋण की सुविधा।
9. शाखा-अल्मोड़ा, द्वाराहाट एवं बागेश्वर में लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध।

आइये अपनी छोटी-मोटी बचतों को इस बैंक में जमा कर जनपद के विकास में सहयोग प्रदान करें।

डॉ० एच० डी० काण्डपाल — सचिव / महाप्रबन्धक
दीवान सिंह मैसोड़ा — प्रशासक

26 जनवरी
गणतंत्र दिवस
के
शुभ अवसर
पर
हार्दिक शुभकमनायें

गजराज सिंह बिष्ट
जिला महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी नैनीताल

With best compliments from :

GRD ACADEMY

NIRANJANPUR
Patel Nagar, Dehradun (U.A)
Phone : 0135-2628998, 2624744

(Engligh Medium Co-Education School)

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

कुमांऊ का एक आदर्श होटल

होटल शिखर अल्मोड़ा

(3 सितारा सुविधाओं सहित)

☎ 230253, 230156
Fax: 05962-230395

बचखेती फर्नीचर

हमारे यहाँ उच्चकोटि के लकड़ी एवम् स्टील के फर्नीचर के निर्माता एवम् विक्रेता

तैयार माल हर वक्त उपलब्ध रहता है

बचखेती फर्नीचर
लोवर मालरोड़, तल्ला वोल्टा अल्मोड़ा
☎ 263601, 233447

The Trade Unions (Amendment) Act, 2001

Act No. 31 of 2001

(3rd September, 2001)

An Act further to amend the Trade Unions Act, 1926.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-second year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Trade Unions (Amendment) Act, 2001 — Shorttitle and Commencement

   (2) It shall come into force on such date as the Central Government may be notification in the Official Gazette, appoint.

16 of 1926 — 2. In section 4 of the Trade Unions Act, 1926 (hereinafter referred to as the principal Act), in subsection (I), the following provisions shall be inserted at the end, namely :- — Amendment of section 4

" Provided that no Trade Union of workmen shall be registered unless at least ten percent or one hundred of the workmen, whichever is less, engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected are the members of such Trade Union on the date of making of application for registration.

Provided further that no Trade Union of workmen shall be registered unless it has on the date of making application not less than seven persons as its members, who are workmen engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected"

Amendment of section 5 — 3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (I) after clause (a) the following clause shall be inserted, namely :-

" (aa) in the case of a Trade Union of workmen, the names, occupations and addresses of the place of work of the members of the Trade Union making the application. "

Amendment of section 6 — 4. In section 6 of the principal Act, -

(a) for clause (ee), the following clause shall be substituted, namely :-

" (ee) the payment of a minimum subscription by members of the Trade Union which shall not be less than-

(i) One rupee per annum for rural workers :

(ii) three rupees per annum for workers in other unorganised sectors

and

(iii) twelve rupees per annum of workers in any other case."

(b) in clause (h), for the word "appointed", the word "elected" shall be substituted.

(c) after clause (h), the following clause shall be inserted namely :-
" (hh) the duration of period being not more than three years for which the members of the executive and other office-bearers of the Trade Union shall be elected."

Inscrtion of new section 9 A

5. After section 9 of the principal Act, the following section shall at inserted, namely.

Minimum requirement about membership of a Trade Union

" 9 A. A registered Trade Union of workmen shall be all times continue to have not less than ten percent or one hundred of the workmen, whichever is less, subject to a minimum of seven, engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected, as its members.

Amendment of section 10

6. In section 10 of the principal Act, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :-
" (c) If the Registrar is satisfied that a registered Trade Union of workmen ceases to have the requisite number of members."

Amendment of section 11

7. In section 11 of the principal Act, in sub-section (l), after clause (a) the following clause shall be inserted, namely :-
" (aa) where the head office is situated in an area, falling within the jurisdiction of a Labour Court or an Industrial Tribunal, to that Court or Tribunal, as the case may be."

Substitution of new section for section 22

8. For Section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted namely :-

Proportion of office-bearers to be connected with the industry

22. (l) Not less than one-half of the total number of the office-bearers every registered Trade Union in an unorganised sector shall be persons actually engaged or employed in an industry with which the Trade Union is connected :

Provided that the appropriate Government may by special or general order, declare that the provisions of this section shall not apply to any Trade Union of class of Trade Union specified in the order.

Explanation-For the prupose of this section. " unroganised sector" means any sector which the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (l), all office-bearers of a registered Trade Union, except not more than one-third or the total number of the office-bearers or five, whichever is less, shall be persons actuntly engaged or employed in the establishment or industry with which the Trade Union is connected.

Explanation - For the purposes of this sub-section, an employee who has retired or has been retrenched shall not be constructed as outsider for the purpose of holding an office in a Trade Union.

3. No member of the Council of Ministers or a person holding an office of profit (not being an engagement or employment in an establishment or industry with which the Trade Union is connected) in the Union or a State, shall be a member of the executive or other office bearer of registered Trade Union.

Amendment of section 29

9. In section 29 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

(3) Every notification made by the Central Governement under Subsection (I) of section 22, and every regulation made by it under subsection (I), shall be laid, as soon as may be afer it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive session and if, before the expiry of the session immediately folowing the session or the successive sessions a foresaid, both Houses agree in making any modification in the notificaiton or regulation, both Houses agree that the notification or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or regulation.

(4) Every notification made by the State Government under subsection (I) of section 22 and every regulation made by it under subsection (I) shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislature."

उत्तरांचल श्रम संकल्प - 2004 के
प्रकाशन के पावन पर्व पर
समस्त उत्तरांचलवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रक्षा समन्वय संघ देहरादून
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ देहरादून

प्रतिरक्षा श्रमिक संघ
ओ०एल०एफ० देहरादून

रक्षा यन्त्र कर्मचारी संघ
देहरादून

आयुध निर्माणी मजदूर संघ
देहरादून

डिफेन्स इन्स्ट्रूमेन्ट कर्मचारी संघ
देहरादून

डील कर्मचारी संघ
देहरादून

With Best Compliments from :

Jai Mata Di

DEEP JYOTI ENTERPRISES

Distributors :

Cadbury, Perfettee Mohani Tea, Haldiram
Allout, Bayer, Bajaj etc

4-D, Veer Savarker Marg, Mandi Road Bazpur-262401
Ph. : 05949-82327 (Off.), 81412 (Resi.), Mob.: 9837082327

उत्तम सफेद दानेदार उच्च कोटि की चीनी एवं देशी,
विदेशी मदिरा के निर्माता

दी बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., बाजपुर
जनपद उधमसिंहनगर (उत्तरांचल)
''श्रम संकल्प'' पत्रिका गणतंत्र दिवस विशेषांक
के
सफल प्रकाशन पर
हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करती है।

एस० सी० बड़ोनी
पी० सी० एस०
प्रधान प्रबन्धक/सचिव

सुन्दर लाल मुयाल
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी / प्रशासक
उधमसिंहनगर

शुभकामनाओं सहित

श्रीमती विपाषा राय
पत्नी श्री संजीव कुमार राय (प्रबन्धक)
सनराइज जूनियर हाई स्कूल
काशीपुर (उधमसिंह नगर) उत्तरांचल
☎ 05947, 279757

संजीव कुमार राय
महामंत्री
चीनी श्रमिक संघ
☎ 9837389776

बाघों का नरभक्षी होना वनों के लिये खतरनाक है

बाघ विश्व के अनेक घने जंगलों में पाये जाते है तथा जंगली जानवरों का शिकार करते है । बाघ अपनी भूख मिटाने के लिये पालतू पशुओं तथा जंगली जानवरों का शिकार करता आ रहा है। विडम्बना यह है कि अब बाघ नरभक्षी हो रहे है इस कारण को यदि हम विचार करते है। तो हम पायेंगे कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये वनों को निरन्तर काटता जा रहा है। जिसके कारण जंगली जानवरों की अनेक जातियां समाप्त होती जा रही है। और जो है भी तो वह बहुत कम संख्या में है जब जानवर नही मिलेगे तो वह जंगलों के नजदीक गांवों में जा कर अपना शिकार तलाश करेगा तथा अनेक पालतू पशुओं का शिकार करना बाघों की नियती बन गयी ।

जब उसे गांवों में पशु भोजन के लिये उपलब्ध नही हुए तो उसने धीरे-धीरे मानव को भी शिकार (भोजन) करना प्रारम्भ कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि बाघ नरभक्षी होने लगे। प्रशासन द्वारा बाघों के सम्बन्ध में बताया गया कि उनकी गिनती चल रही है और विगत वर्ष लगभग २० नरभक्षी बाघ मारे जा चुके है। तथा दिन प्रतिदिन बाघों का आंतक बढ़ता ही जा रहा है।

उत्तरांचल सरकार ने तो नरभक्षी बाघों को मारने के निर्देश तक दे डाले। यह भी देखने में आया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शवों को ठीक प्रकार से निस्तारित नही किया जाता तथा अध जले शवों को जब बाघ भक्षण करते है और केवल मानवों पर ध्यान कर उनका शिकार करते है। इस समस्या के निराकरण के उपाय यह है कि ग्राम सभाएं वनीकरण करे तथा जंगलों का दोहन करना बन्द कर दे तथा कुछ समय तक जंगलों में छोटे पशुओं को भी व्यवस्था की जाय ताकि बाघों को जंगल में ही भूख मिटाने के लिए आहार उपलब्ध हो सके और वह नरभक्षी न बन सके। वनों में नित्य वृक्षारोपण तथा अन्य उपाय किये जाये ।

(एस० पी० नवानी)
जीव जन्तु कल्याण अधिकारी

मजदूर संघ में तुम्हारे कई लाख भाई हैं

22 नवम्बर, 1982 की बात है। पश्चिम बंगाल की एक महिला कार्यकर्ता श्रीमती मिनाक्षी सक्सेना अपने जीवन में पहली बार भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुम्बई गई थी। उनका परिचय किसी से नहीं था। वे बड़े भाई स्व. रामनरेश जी या अन्य किसी भी अधिकारी को नहीं पहचानती थीं। वहां पहली बैठक के बाद वे एक तरफ चुपचाप बैठी थी कि बड़े भाई धीरे से उनके पास आये और उनसे नाम, स्थान तथा कार्य व्यवसाय आदि परिचय पूछने लगे। फिर बड़े भाई ने अपना परिचय भी बहुत ही सहज ढंग से दिया। इधर–उधर की बातें इस प्रकार करने लगे जैसे वे उनके बहुत पुराने परिचित हैं लज्जा एवं संकोच में पहले तो श्रीमती सक्सेना केवल हां, हूं ही करती रहीं पर बड़े भाई ने बातों ही बातों में उनका हौंसला बढ़ाया और वे खुलकर बातें करने लगीं।

श्रीमती सक्सेना ने पूछा, " बड़े भाई, ये यूनियन वगैरह तो मैं जानती नहीं, भला मैं यह काम कैसे कर सकूंगी?" बड़े भाई ने बड़े स्नेह से कहा, "बहिन दुनिया में कोई भी काम कोई भी व्यक्ति पेट से सीखकर नहीं आता है। लगन और साहस उसे मुश्किल से मुश्किल काम सिखा देते हैं। तुम केवल लगन और साहस से आगे बढ़ो तुम निश्चय ही अच्छे ढंग से यह कार्य कर लोगी। मजदूर संघ में तुम्हारे लाखों भाई हैं और सभी तुम्हारे साथ हैं। फिर तुम्हें चिन्ता किस बात की है?" बड़े भाई ने इतना बड़ा रहस्य इतने सहज एवं विनम्र भाव से कहा कि श्रीमती सक्सेना को लगा कोई अपना बड़ा भाई अपनी छोटी बहिन से स्नेह से दुनियादारी की बातें बता रहा है। उनको लगा कि बड़े भाई उनके अपने सगे बड़े भाई हैं।

बहिन श्रीमती मिनाक्षी के अन्तःकरण से बड़े भाई स्व. रामनरेश जी के लिए निम्न प्रकार का मान जगा :–

"हर अन्याय विरोधी वह था, एक वीर के रूप में ।
हर मानव का संगी भी था, एक देव के रूप में ।"

('बड़े भाई' स्मृति ग्रंथ से उद्धृत)

संकलनकर्ता
केवलानन्द सांगुड़ी
अध्यक्ष
श्रमिक संघ एचएमटी घड़ी
रानीबाग नैनीताल, उत्तरांचल

गरीब वह नहीं है जिस के पास कम है बल्कि धनवान होते हुए भी जिस की इच्छा कम नहीं हुई वह सब से अधिक गरीब है। – **विनोबा भावे**

बड़े भाई (स्व. रामनरेश सिंह जी) का जीवन परिचय

निश्चल स्वभाव के कर्मयोगी योद्धा श्री रामनरेश सिंह (बड़े भाई) अनुशासन प्रिय तथा संगठन कौशल के धनी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के पक्षधर थे। उनका हर एक काम व्यवस्थित और नियत समय पर होता था। देरी से स्टेशन पहुंचने के कारण ट्रेन निकल गयी हो ऐसा प्रसंग उनके जीवन मे कभी नहीं आया। ट्रेन के नियत समय के बहुत पूर्व स्टेशन पर आकर प्रतीक्षा करते हुए भी उन्हें किसी ने नहीं देखा।

भारतीय मजदूर संघ के इस विशाल व्यक्तिव का जन्म दीपावली के दिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के बगही गांव में सन 1925 में हुआ था। इनके पिता श्री दलथम्मन सिंह मध्यवर्गीय किसान थे। चुनार से उच्च विद्यालय तक की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत श्री रामनरेश सिंह ने आजीविका के लिए वहीं प्रतिलिपिक के रूप में अपनी जिन्दगी की शुरुआत की।

बड़े भाई 1944 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए तथा 1944 में संघ के प्रचारक बने। 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबंध काल में विन्ध्याचल क्षेत्र के 50 कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद 1949 में वे मिर्जापुर के जिला प्रचारक बने। रचनात्मक कार्यों से बड़े भाई का बहुत ही लगाव था। उन्होंने 1950 में चुनार में पुरुषोत्तम चिकित्सालय तथा 1952 में माधव विद्या मंदिर (उच्च विद्यालय) की स्थापना की। अनेक सामाजिक कार्यों में तत्पर होने के कारण उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ गयी। अस्वस्थता के समय में 1956 से कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वस्तु भण्डार एवं कार्यालय के प्रमुख नियुक्त हुए। अप्रैल 1960 में बड़े भाई ने भारतीय मजदूर संघ में प्रवेश किया। उसी वर्ष उन्हें 16 दिसम्बर को भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया। इनके पदभार ग्रहण करने के सिर्फ तीन दिनों के बाद ही भारतीय मजदूर संघ को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान्यता दी। उस समय वहां भारतीय मजदूर संघ की 24 यूनियनें थीं एवं इसकी सदस्य संख्या 4730 थी। प्रदेश महामंत्री के रूप में बड़े भाई ने महत्वपूर्ण कार्य कर दिखलाया। जिसमें 1962 का दुकान वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन तथा 1963 में भारतीय मजदूर संघ को राष्ट्रवादी श्रम संगठन घोषित करवाना शामिल है। 1967 में बड़े भाई अखिल भारतीय महामंत्री बने। उस समय उनके पास उत्तर प्रदेश के साथ–साथ बिहार, बंगाल एवं असम प्रान्त का दायित्व था।

1968 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया। जिस पद पर वे 1974 तक बने रहे। वहां रहकर भी वे श्रमिकों के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल सफल कराने में उनका बहुत सहयोग रहा। आपातकाल में 9 जुलाई 1975 को उन्हें रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद फरवरी 1976 में बड़े

भाई भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री पद का कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हुए वे भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश की अनेक श्रम सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

मजदूरों के पथ प्रदर्शन के लिए इन्होंने कई पुस्तिकाएं लिखीं, जिनमें 'यूनियन पथ प्रदर्शक' और 'भारत में श्रम संघ आंदोलन' (1984) महत्वपूर्ण है। 'सरकार हारी, मजदूर जीता' (1984) उनका बहुचर्चित प्रभावपूर्ण लेख है।

मजदूरों के बड़े भाई का 2 मई 1985 को स्वर्गवास हुआ।
उनकी स्मृति में शत् शत् प्रणाम।

केवलानन्द सांगुड़ी
प्रभारी
असंगठित एवं आंगनबाड़ी क्षेत्र
उत्तरांचल

अन्याय और अत्याचार से टक्कर लो !

निरुपद्रविता हम लोगों में सद्‌गुण माना जाता है। सदा चुप रहने वाला मनुष्य लोगों के द्वारा बड़ा सज्जन माना जाता है। सज्जन कौन है? लोग कहते हैं – सज्जन वही है जो औरों के पचड़े में कभी नहीं पड़ता, स्नान के बाद भोजन और फिर ऑफिस या दुकान उसके पश्चात पुनः भोजन और सोना जिसका दैनिक कार्यक्रम है। लोग आपस में कहते हैं – "देखिए, कैसे हैं गोविन्द राम जी।

कितने शांत। कितने सीधे। पच्चीस वर्षो से पड़ोस में रहते हैं पर किसी को पता तक नहीं होता कि इस पड़ोस में रहते हैं। इतना सज्जन मनुष्य बिरला ही होगा।" पर हमें ऐसा सज्जन नहीं चाहिये। चुपचाप अत्याचार सहने वाला व्यक्ति यदि सज्जन माना जाय और यदि ऐसे सज्जनों की भरमार हो तो यह समाज दुनिया में जीवित नहीं रह सकता और फिर कभी भी हिन्दुस्तान उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता।

प. पू. डा. हेडगेवार
पूर्व सर संघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

दृष्टिहीनों के लिए संकुचित होते रोजगार के अवसर प्रशिक्षण एवं बाजार का बदलता स्वरूप

दृष्टिहीनों के सर्वांगीण विकास एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए हमारे देश में अनेक व्यावसायिक कौशल चुने गये। हमें याद आता है कि छठे से आठवें दशक के अंत तक इन व्यावसायिक कौशलो का स्वरूप वही रहा किन्तु आठवें दशक के आते–आते बाजार का स्वरूप बदलने लगा। जिससे दृष्टिहीनों को दिए जाने वाले व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण का महत्व काफी कम हुआ। हमें स्मरण है कि छठे दशक में दृष्टिहीनों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार हथकरघा, कुर्सी बुनाई, मोमबत्ती बनाना, साबुन, वाशिंग पाउडर बनाने, अगरबत्ती, धूप बनाने, पॉलीथीन बैग बनाने तथा चाक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना हर जगह चर्चित था। इसका उद्देश्य भारत के हर दृष्टिहीन के हाथ को काम दिलाना था ताकि वह अपनी आजीविका की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर न रहे।

किन्तु विश्व में नर तकनीकी क्रांति आने के कारण उपरोक्त सभी प्रशिक्षण उतने लाभप्रद नहीं रह गए हैं। बाजार में स्वचालित मशीनों के द्वारा इन उत्पादों का निर्माण होने के कारण इस क्षेत्र में दृष्टिहीनों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं कम होती जा रही हैं। यहां तक की इलेक्ट्रोनिक्स का प्रशिक्षण भी उनके लिए अपेक्षित रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

यद्यपि लाईट इंजीनियरिंग, शार्टहैण्ड, फिजियोथैरेपी, टेलीफोन आपरेटर जैसे व्यावसायिक कौशल शेष हैं जो बाजार की आवश्यकता के मुताबिक नेत्रहीनों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर का क्षेत्र दृष्टिहीनों के लिए रोजगार की संभावनाएं लेकर आया है किन्तु अभी बाजार के आधार पर इसका पूर्ण रूप से परीक्षण होना बाकी है। अर्थात हम सभी के लिए यह आवश्यक हो गया है किसमय रहते बाजार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए दृष्टिहीनों को रोजगार दिलाने हेतु ऐसे कौशलों की तलाश करें जिनसे हर दृष्टिहीन के हाथों को काम एवं प्रशिक्षण दिया जा सके।

इस कार्य के लिए हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं, राजनैतिक सामाजिक पत्रकार जगत, समाज के बुद्धिजीवियों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर संगठनों को आगे आने की आवश्यकता है। ताकि प्रशिक्षण केवल प्रशिक्षण के लिए ही न दें अपितु हर प्रशिक्षण प्राप्त दृष्टिहीन के वास्तविक कल्याण की मंशा भी होनी नितांत आवश्यक है तथा यह हमारा नैतिक दायित्व भी है इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान देहरादून दृष्टिहीन बालक बालिकाओं प्रौढ़ युवाओं एवं युवतियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर भारत के समस्त दृष्टिहीनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ विगत तीन दशकों से संघर्षरत है। ये संस्थाएं और अधिक गति से काम करें। आइए हम इन्हें बाजार के बदलते स्वरूप को देखते हुए अपना सहयोग प्रदान कर प्रेरित करने का संकल्प लें।

खेमसिंह रावत
कार्यसमिति सदस्य, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ
शाखा – देहरादून

ICDS Scheme – Introduction

The Integrated Child Development Services(ICDS) Scheme aims to improve the nutritional and Health Status of preschool children, pregnant womenand nursing mothers through providing a package of services including supplimentry nuttrition preschool education, Immunisation, Health checkup, Referal services, Nutrition and Health Education.

The ICDS Schmeme has now come to be regarded as the most viable vehicle for achieving the goal set for in the national plan of Action for children. These inter-allia, include reduction of Infant Mortality Rate(IMR) to less than 60 per thousand, reduction in Child Mortality Rate(CMR) to less than 10 perthousand, reduction in Maternity Mortality Rate(MMR) by atleast 50%, reduction in severe and moderate malnutrition among child under 5 atleast 50% and universal enrolment and retention inprimary schools.

Coverage and out reach

The scheme was launched on2nd October 1975, started during 1975-76 in just 33 Blocks of the country. The scheme has gradually expanded and at present covers 5614 ICDS projects.

The ICDS Team

The ICDS team comprises of the Anganwadi Helper, Anganwadi Worker, the Supervisors and Child Development Project Officer(CDPO). In larger rural and tribal project, Additional Child Development Project Officer(ACDPO) are also a part of the team. The Medical Officer, the Lady Health Visitor, and female health workers from nearbyprimary health centre and sub-centres from a team with social welfare women and child development department functionaries to implement ICDS.

A Supervisor is responsible for 20/25 Anganawadies depending upon the nature of the project. She support and guide AWW, assists in recording home visit, organises community meetings, visits of health personnel and provides on-the-job orientation to AWW. The CDPO provides the links between ICDS functionaries and Govt. administration. The officer is also responsible for securing Anganawadi premises. Identifying beneficiaries, ensuring supply of food to centres, flow of health services, monitor of the programme and report to be state Govt.

Honorarium of Anganawadi workers

At begining of the ICDS Scheme, Anganawadi workers were paid Honorarium Rs.100/- per month (Non-Matriculate) and at the rate of Rs.150/- (Matriculate). The honorarium of Helper were fixed to the tune of Rs.35/- per month. Over the years Honorarium of Anganawadi workers and Helpers have been increased which may be seen in details in the following tables:-

Qualification/Year	1975-76	1.4.78	1.7.86	2,10.92	16.5.97	21.4.2003
Non-Matriculate	100	125	225	350	438	938
Matriculate	150	175	275	400	500	1000
Non-Matriculate with 5 years experience			250	375	469	969
Matric with five years experience			300	425	531	1031
Non-matric with 10 years experience			275	400	500	1000
Matric with 10 years experience			325	450	563	1063

Additional facilities

1. TA/DA paid to Anganawadi Workers for attending meetings/Orientation training at the rate applicable to LDC of the State Govt. Helpers are entitled to get at the rate of Class IV employees of the State Govt.

2. Workers and Helpers are allowed paid absence upto 20 days in a year andat a time 10 days may be granted only.

3. Two times Maternity leave can be availed by Anganawadi workers and helpers.

4. Guide line to State Govt. have been issued to reserve 25% of the post of Supervisors under the Scheme to be filled by Anganawadi workers. Voluntary contribution in Anganawadi Centreshould be treated as additional qualification for requirement as primary school teacher. ANMS and other such village based positions and specific quota for requirement in these position may be fixed up:

   a) Aganawadi Worker and Helper Welfare Fund should be formed.
   b) Group Insurance facilities should be provided to Anganawadi workers and Helpers.
   c) A scheme of Award to the dedicatedAnganawadi workers and Helpers in the implementation of ICDS Scheme should be evolved.
   d) Maternity leave benefit to Anganawadi workers and Helpers should be the same as enjoyed bywomen employees of organised sectors.

Facilities being provided by the State Govt.

Some of the State Govt. are giving some assistance to the Anganawadi workers and Helpers out of their resources in addition to the Honorarium being paid to the Anganawadi Workers/Helpers by the State Govts/Uts is as under:

Sl. No.	Name of the State/UT	Amount of Additional Honorarium AW Worker	AW Helper
1.	Goa	+ 300	+ 160
2.	Hariyana	+ 200	+ 40
3.	Himachal Pradesh	+ 200	+ 100
4.	Jammu & Kasmir	+ 262-300	+ 140
5.	Karnataka	+ 250	+ 75
6	Kerala	+ 200	+ 200
7.	Maharastra	+ 400	+ 240
8..	Tamilnadu	+ 460	+ 190
		(Scale of Honorarium600 to 1100 + DA Approx.Rs.960/- per month)	
9.	West Bengal	+ 200	+ 200
10.	Chandigarh	+ 200	+ 140
11.	Lakshadweep	+ 500	+ 300
12.	Pondichery	+ 640	+ 425

The judgement of Karnatak Administrative Tribunal

Having in view of the right of the State to select for appointment the right to appointment, the right to the terminate the employment, right to prescribe condition of service, the nature of duties performed by the employees, the right to control the employees, manner and method of work to issue directionsand right to determine and the source from which salary(Honorarium) is paid and and most of circumstances clearly go to show that there exists relationship of master and servant and Anganawadi workers came squarly under the jurisdiction of State Administrative Tribunal as envisaged under section 15 of the Act.

The Karnatak Administrative Tribunal has further observed "In circumstances, we hope that the state Govt. would come out with an appropriate absorption order scheme or rule with a reasonable pay scale to these appointed as Anganawadi Workers and Helpers".

The State Govt. of Karnatak and Central Govt. have gone in the appeal against the decision in the Hon'ble Supreme Court and the matter is Sub-judice at present.

K.N. Sanguri
Incharge
Unorganised Sector
Anganwari Workers
Uttranchal

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

श्री उदय सिंह चन्देल (काका)
नगर पार्षद,
नगर निगम, देहरादून
अजबपुर (खुर्द) देहरादून
2621089

शुभकामनाओं सहित

मुरारीलाल राजकुमार एण्ड सन्स

132, पल्टन बाजार
देहरादून (उत्तरांचल)

श्री धन्वत्तरि क्लीनिक
Dr. S. S. Rawat
B.A.M.S., I.M.B. Ayurvedachrya
Physician & Surgeon

Specialist in : Ayurvedic Medician

Mobile : 9412348289
Ajabpur Chowk, Dehra Dun-248 001
Reg. No. 35697

Facilities : Polio, DPT Meseals M.M.R., Hipatitis-B Vac. etc.
केंन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त

शुभकामनाओं सहित

खण्डेवाल फैशन शाप

स्पेशलिस्ट- सूट, फैन्सी साड़ी
73/1 प्रथम तल पल्टन बाजार,
देहरादून

2659261 (दु.)
2751777 (नि.)

शुभकामनाओं सहित :

श्री आर० बी० नैथानी
R.B. Naithani Chairman
क्षेत्रीय प्रबन्धक क्लब सदस्य
भारतीय जीवन बीमा निगम
Life Insurance Corporation of India

नगर कार्यालय नं०-1 न्यू कनाट प्लेस
☎ 0135-2653663, 2657246
नि० 38/6 लक्ष्मी रोड, देहरादून 248 001

शुभकामनाओं सहित :

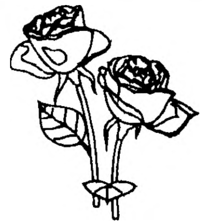

श्री बी० आर० पोखरीयाल
4/2, तेगबहादुर रोड़
देहरादून (उत्तरांचल)

With best compliments from :

CHITRA PALACE STUDIO

54, Dharampur Dehradun (U.A)
Studio Photography
Damination
Entorgements
Colour Prints, Video Coverage
Time 6 to 8 p.m.

P. C. Saini
Prop.
☎ 2710748

SAINI TAILORS

Specialists :-
Gents Suits & Shirts

5/4, Rajpur Road,
Dehradun (U.A)

With best compliments from :

ESTD. 1950

राम सिंह एण्ड सन्स ज्वैलर्स

RAM SINGH & SONS JEWELLERS

FANCY GOLD & SILVER ORNAMENTS
DIAMOND & LUCKY BIRTH STONE

25, Dhamawala Bazar,
Dehradun-248 001 (Uttaranchal) India
☎ 0135-2656835 (S)
2621781, 2623051 (R)

शुभकामनाओं
सहित :

संजय सोनी

संजय
न्यूज एजेन्सी

धर्मपुर, देहरादून ☎ 2750459

शुभकामनाओं सहित :

सन् राइज
फाईनेंस
एण्ड इनवेस्टमेन्ट

101, नेहरू कालोनी, देहरादून

"सरकारी अर्धसरकारी एवं सरकारी सेवानिवृत कर्मचारियों हेतु आसान किस्तों पर ऋण सुविधा"

शुभकामनाओं सहित :

उनियाल बेकर्स
एण्ड
कनफेक्शनर्स

64, आराघर रोड,
देहरादून (उत्तरांचल)
☎ 2676333 (दु०), 2627643 (नि०)

शुभकामनाओं सहित :

SHIVAM ENTERPRISES

Deals in

Genuine Spare Parts of
AMBASSADOR, INDICA

13 Chauhan Market
near Prine Chowk, Haridwar Road, Dehradun (U.A)
☎ 0135-261118, 2627002 (R)

शुभकामनाओं सहित :

हंस राज गेरा

महानगर संरक्षक : विश्व हिन्दू परिषद्
एवं भा०ज०पा० वरिष्ठ नेता

2653700 (O)
2746205 (R)
94120-53698

भारतीय जनता पार्टी
महानगर देहरादून (उत्तरांचल)

प्रधान :
व्यापार मण्डल सर्वे चौक, देहरादून

कार्यालय :
हंस साईकिल स्टोर

निवास :
180, करनपुर, देहरादून

With best compliments from :

SAMRAT ENTERPRISES

Dealers in :
L.P. Gas Stove, Pressure Cooker, Stove, Electric Goods
Mixer Grinder and Commercial Fittings

Specialist in :
Service & Spare Parts

35, Chakrata Road, Dehradun-248 001
☎ 2651836 (R), 2712705, 2652733 (S)

शुभकामनाओं सहित :

SHIVALIK RANGES
TOUR AND TRAVERLS

OFFICE : 5/2 TAG BAHADUR ROAD, DEHRADUN (U.A)
☎ 0135-2671425, 2677965
E-mail : shivalik@yahoo.com.

Specialist in :
Operating Package Tours,
Adventure Tours, Education Tours Day Excursion etc.

With best compliments from :

Tarun Gandhi

GANDHI OPTICALS

Free Eye Testing

Deals in :
All types of Spectacles Goods
& Sun Glasses

84, Dispensary Road, Opp. Gandhi
School, Dehra Dun (U.A)
Mob. 9897274111

शुभकामनाओं सहित :

अनिल सोनी

सोनी
न्यूज एजेन्सी

आराघर चौक, देहरादून
☎ 2675388

शुभकामनाओं सहित :

गढ़वाल मण्डल

पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी वेतन भोगी ऋण एवं बचत सहकारी समिति लिमिटेड

93/3 द्रोणपुरी धर्मपुर देहरादून (उत्तरांचल)

एच.के.सकलानी
अध्यक्ष

सुन्दर सिंह पंवार
सचिव

शुभकामनाओं सहित :

श्रीमती मोनिका उनियाल

सी-२३ नेहरु कालोनी
देहरादून (उत्तरांचल)

शुभकामनायें

कृष्णा टायर सर्विस

52, धर्मपुर, देहरादून
दूरभाष सं० 2675241

जनसंख्या विस्फोट एवं पर्यावरण तथा संगठन

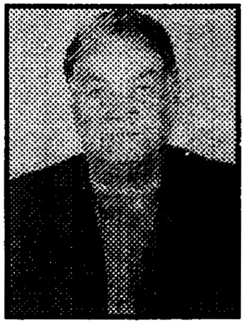

भारतवर्ष में बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ बढ़ती हुई जरूरतों के कारण विश्व का पर्यावरण संतुलन पर बड़े ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, यह हमारे देश की जनता एवं जीव जगत की दयनीय दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है।

प्रतिदिन हजारों की दर से हमारी नदियों का जल दूषित एवं जहरीला हो रहा है, क्योंकि प्राणदायिनी, वायु को फैक्ट्रियों के धुएं से विषैला किया जा रहा है, इसलिए संगठन का दायित्व है कि जहां पर उनकी यूनियनें स्थापित हैं वे शहरों से गांव तक महानगरों के पिछड़े हुए तथा वनवासियों को इस स्थिति से अगवत कराते हुए कल्याणकारी योजना का श्रीगणेश करें, यह उनका दायित्व बनता है क्योंकि हम भी समाज के अंग हैं। इसलिये इन क्षेत्रों में जाकर जन–मानस को जाग्रत करना हमारा ध्येय होना चाहिए तथा लक्ष्य भी होना चाहिए।

आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा एवं सुख आदि के लिए उपयोगी कार्य हमेशा यादगार बन कर रह जाती है। अगर हम प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि श्री व्यास जी ने बढ़ती जनसंख्या को पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को विशेष रूप से उल्लेख किया है, विशेष कर प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन में उपयोग लाने का भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है क्योंकि हमेशा भारतीय संस्कृति सदैव से सहयोग करती रही है। हमारे देश के पौराणिक ग्रन्थों में प्रकृति को देवी का रूप मानकर पूजा की है। जैसे गाय माता, गोवर्धन पर्वत की पूजा, तुलसी के पौधे को नित्य सूर्य नमस्कार करते समय उसकी पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा आदि इसके प्रमाण हैं।

पर्यावरण प्रदूषण आज की ज्वलंत समस्या है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। विश्व की दर पर दर जनसंख्या बढ़ती हुई कारण ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को आज खतरा उत्पन्न हो गया है। इसीलिए भारतवर्ष में जनसंख्या को रोकने हेतु दिन प्रतिदिन परिवार नियन्त्रण के लिये छोटा परिवार सुखी परिवार की योजना चला कर इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है।

यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रहे तो विभिन्न उपाय भी इसके लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। इसीलिए पर्यावरण के माध्यम से इसको रोकने एवं वनों का विनाश न हो उसमें नये–नये कानून बना कर रोकने का प्रयास सरकार ने भी किया है परन्तु इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है वह आप सभी जानते हैं। नदियों का जल स्वच्छ रहे इस ओर भी विश्व बैंक ने आर्थिक सहयोग करके सभी देशों से नदियों की सफाई करने का अभियान भी चलाया है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, गोमती आदि में योजना बनाकर इनके पानी को स्वच्छ रखने का प्रयास भी किया है।

कारखानों का गंदा पानी इन नदियों में सम्मिलित न हो पर्यावरण के माध्यम से चिमनियों का

निर्माण, एक ही स्थान पर गंदा पानी एकत्रित करने तथा उस पानी को स्वच्छ कर खेती के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास भारत सरकार ने किया है, इसलिये भारत की नदियों के हेतु गंगा, जमुना प्राधिकरण का निर्माण भी किया है।

पर्यावरण एक अन्तर संबंधी विषय है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिये कानूनों की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में पर्यावरण कर्तव्यों का उल्लेख भी है। इसमें पर्यावरण पर विधान बनाने हेतु भी प्रावधान है संघ, राज्य व सीमावर्ती सूचियों के विषय जिन पर संसद या राज्य के विधान सभा में कानूनों का निर्माण हुआ है। जिनमें पर्यावरण विषय के अनेक बिन्दुओं का उल्लेख भी किया गया है।

प्रदूषण देश के लिए एक खतरनाक विषय बन गया है क्योंकि हर तीसरे भारतीय के पास मोटर, स्कूटर, मोटरसाईकिल है, जिनके कारण प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का श्वांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इससे तपेदिक एवं दमे जैसी बिमारियों का पुनः से मनुष्य के जीवन में पदार्पण हो गया है। इसी के कारण आज पूरा विश्व एड्स तथा सार्स जैसी बिमारियों से संघर्ष कर रहा है। प्रत्येक स्कूलों में उच्च्य स्तर पर इनको विश्व में लेकर सभी नवयुवक एवं नवयुवतियों को इसका ज्ञान दिया जा रहा है। आज भारतवर्ष में 80 प्रतिशत बीमारी दूषित जल के कारण हो रही है। 70 प्रतिशत पानी ऐसा है जो मनुष्य के उपयोग हेतु नहीं है। इसलिए भारत सरकार नई–नई योजना बनाकर इसको रोकने का कार्य कर रही है।

अगर देखा जाये तो पेड़ भी मान व समाज की बड़ी देन है। क्योंकि वृक्ष ही बादलों को आमंत्रित करता है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था वर्षा पर निर्भर है। 70 प्रतिशत ग्रामीण आज भी खेती पर निर्भर हैं। नये–नये बीजों का उपयोग एवं नई खादों का उपयोग जो कैमिकल्स से उत्पन्न हैं उनका आज जीवन में उपयोग होने से नयी–नयी बिमारियों को जागृत कर रहा है। इस ओर भी संगठन कार्य कर सकते हैं। कृषि से संबंधित श्रमिक इनकी हानि का प्रचार ग्रामों में जाकर कृषकों को समझा सकते हैं तथा अपना प्रचार एवं प्रसार का एक माध्यम भी बनाया जा सकता है। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में हमारा कार्य बढ़ रहा है। जो हमें इस ओर सहयोग कर सकता है।

अनुशासन का अभाव भी पर्यावरण में गिरावट लाता है। शोषण ने पर्यावरण के प्रति आधुनिक मानव के व्यवहार एवं कार्यों को चित्रित किया है। अनेक सुविधाओं की ओर हम भाग रहे हैं। जिसके कारण हम श्रम से पीछे छुटते जा रहे हैं। श्रम के प्रति समाज भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके कारण हम सुख सुविधा के भोगी बन गये हैं। महाकवि रविन्द्र नाथ टैगोर कहते हैं 'पर्यावरण से मानव का अभिप्राय कुछ ग्रहण करना नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से उसे जानना है। अपने चारों ओर के वातावरण के साथ सौद्धार्यपूर्ण ढंग से रहना।' वर्तमान में पर्यावरण के आर्थिक शोषण ने प्राकृतिक नियमों के हनन एवं संघर्ष को जन्म दिया है।

प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप ने पर्यावरण में गिरावट का मुख्य कारण अत्यधिक विकास पर अत्यधिक जोर देना है परन्तु भारत में अन्य विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण की समस्या निर्धनता व उसकी

उचित ढंग से चिन्तन व गम्भीरता से इस प्रसंग में न सोचना ही है। इसलिए आज भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि ही पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन गयी है। आज भारतवर्ष की संख्या एक अरब से अधिक हो गयी है। जो आज के जनमानस के लिए सोचनीय विषय बन गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं जनचेतना हेतु विश्व व्यापी विचारों का मंथन हो रहा है। यूएनओ में इस विषय पर गम्भीरता से निर्णय भी लिया जा रहा है। कोयले एवं तेल का ऊर्जा के स्रोत के रूप में बढ़ता उपयोग आधुनिक उद्योगों द्वारा विसर्जित एवं नष्ट न होने वाले पदार्थ या धीरे–धीरे नष्ट होने वाले फालतू पदार्थ इनके प्लास्टिक व स्टैनलेस मिश्र धातु जैसे उत्पाद ये सभी बड़ी मात्रा में विश्व भर में एकत्रित होकर हवा और समुद्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक तकनीकी व उद्योगों ने ऐसे परिस्थिति को जन्म दिया है जो मानव इतिहास में पूर्णतः नवीन है। जिसके फलस्वरूप विश्व के एक कोने से दूसरे कोने पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

पर्यावरण को रोकने के दो साधन हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम परिस्थिति की या पर्यावरण पर पड़ने वाले गम्भीर अथवा सीधा प्रभाव यदि इन कार्यों में धन लगाया जाये तो इसके उत्पादकों के मूल्यों में वृद्धि होती है। प्रभावित जनसंख्या या तो बहुत दूर स्थित है या भविष्य में प्रभावित होने वाली है। इस प्रकार खर्च व मूल्यों की वृद्धि में कम रुचि दिखायी जाती है। इससे भी पर्यावरण पर प्रभाव दिखाई देता है। आज हर व्यक्ति अपने व्यापारिक कार्यों के लाभ हेतु सभी स्थानों पर पहुंच रहा है। यह सब उसकी बुद्धि और औजारों का निर्माण करने की क्षमता के कारण सम्भव हुआ है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने प्रयास किया है। चाहे इससे कुछ भी नुकसान विश्व को हो जाये। बड़े राष्ट्र इसको अपना रहे हैं। केवल अपनी पूर्ति हेतु आज विश्व में अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश इसके उदाहरण हैं। जो अपने स्वार्थ के हेतु जनमानस को भी नहीं देख रहे हैं।

मानव एक पर्यावरण का पारस्परिक अनन्य संबंध है। वे एक दूसरे के पूरक हैं एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है। कोई भी जीवधारी आज अकेला नहीं रह सकता है। सभी जीवधारी पर्यावरण में रहते हैं। मनुष्य भी पर्यावरण का एक भाग है। जीव और वनस्पति की अनगिनत जातियों के अलावा मनुष्य के चारों ओर प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में हैं। मनुष्य के पास सोचने, योजना बनाने तथा आस–पास की प्रकृति के लाभ के लिये परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता भी है लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने पर्यावरण के लिए एक संकुचित दृष्टिकोण रखने वाला तथा एक अच्छा सुप्रबंधक सिद्ध हुआ है। इसलिए तो प्राकृतिक संतुलन के नियम की महत्ता को नकारते हुए मानव ने अपने चारों ओर के वातावरण में मिलने वाले तुरन्त स्थायी व छोटे लाभों को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार जहां भी मानव रहा है उसने पर्यावरणीय को जन्म दिया है। जो आज उसके जीवन के लिए दुखदायी साबित हुआ है। इसलिये सभी भारतवासियों एवं श्रम संगठनों का कार्य है कि वे इस दूषित पर्यावरण को न बढ़ने दें। तभी अपने देश का विकास होगा।

श्री सुन्दर लाल उनियाल
प्रदेश महामन्त्री

विचार

"केवल अपना मोक्ष चाहोगे तो नरक में गिरोगे। दूसरों का मोक्ष चाहो। परसेवा के लिए नरक भी भोगना पड़े तो वह अपनी मुक्ति द्वारा अर्जित स्वर्ग से भी उत्तम है। महात्मा तो मैं उसे कहूंगा जिसके कलेजे में गरीब के लिए हूक उठती है। हम में से प्रत्येक को दिन-रात प्रार्थना करनी चाहिए। उनके कल्याण के लिए जो दरिद्रता, पाखण्ड व अत्याचार के पक्ष में बंधे हैं भारत के उन करोड़ों दलितों के लिए रात-दिन प्रार्थना करो। इनको अपना ईश्वर मानो। ये ही हमारे देवता हैं। आगामी 50 वर्षों तक सब देवताओं को भुलाकर इनकी पूजा करो। सब पूजाओं में श्रेष्ठ है मानव सेवा। चला जा उस ओर जहां महामारी हो, दुर्भिक्ष हो, जहां दुख ही दुख हो, उन लोगों का दुख दूर कर। जब तक ये जन नहीं उठेंगे भारत माता का उद्धार नहीं होगा। मैं उन मनुष्यों को हत् भाग्य मानता हूं जिन्होंने गरीबी एवं पददलितों को पीस कर धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा उस पर वृथा गर्व करते हैं। पर उन करोड़ों लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते जो भूखे-नंगे, अशिक्षत एवं जंगलियों जैसा जीवन जी रहे हैं।"

-स्वामी विवेकानन्द

गीत

एक नया इतिहास रचें हम,
एक नया इतिहास रचें, एक नया इतिहास।
डगर-मगर सब दुनियां चलती, हम बीहड़ में राह बनाएं।
मंजिल चरण चूमने आयें, हम मंजिल के पास न जायें।
धारा के प्रतिकूल, नाव से, ढूंढ किनारा साथ पलें हम
एक नया विश्वास रचें हम,
एक नया इतिहास रचें, एक नया इतिहास।।
दूर हटा कर जग के बंधन, बदलें हम जीवन की भाषा।
छिन्न भिन्न करके बंधन को, बदलें हम जीवन परिभाषा।
अंगारों में फूल खिलाकर, एक नया मधुमास रचें हम।
एक नया विश्वास रचें हम,
एक नया इतिहास रचें, एक नया इतिहास।।
अम्बर हिले धरा डोले, पर, हम अपना कभी पथ ना छोड़े
सागर सीमा भूले पर, हम अपना ध्येय कभी ना भूलें।
स्नेह प्यार की वसुन्धरा पर, एक नया संसार रचें हम।
एक नया विश्वास रचें हम,
एक नया इतिहास रचें, एक नया इतिहास।।

उत्तरांचल में सहकारी क्षेत्र का ए०टी०एम० सुविधा युक्त आपका अपना अग्रणी बैंक

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी।

इस बैंक की स्थापना सन् 1920 में हुई। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०, हल्द्वानी उत्तरांचल की एक अग्रणी सहकारी बैंक है तथा विभिन्न क्षेत्र में बैंक की अग्रणी भूमिका रही है। बैंक को निरन्तर तीन वर्षो तक नाबार्ड द्वारा "वेस्ट परफारमैंस एवार्ड" से सम्मानित किया गया है तथा वर्ष 2003 हेतु स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण में अग्रणी स्थान रखने पर जिला प्रशासन द्वारा सील्ड से सम्मानित किया गया। यह बैंक "गणतन्त्र दिवस 2004" के माध्यम से कृषक सदस्यों व जन सामान्य का हार्दिक अभिनन्दन करता है तथा आग्रह है कि बैंक द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठावें।

विशेषतायें :–

1. कृषि ऋण वितरण में अग्रणीय भूमिका।
2. अन्य वाणिज्यिक बैंको की अपेक्षा अमानतों पर अधिक ब्याज।
3. अधिकांश शाखाओं में लाकर्स सुविधा।
4. जीप/आटो रिक्शा एवं बड़े वाहनों हेतु वाहन ऋण की सुविधा।
5. व्यवसायियों/फर्मो को बंधक/दृष्टिबंधक ऋण सुविधा।
6. वेतनभोगी व्यक्तियों को वेतनभोगी समितियों के माध्यम से ऋण सुविधा।
7. वेतनभोगी व्यक्तियों को घरेलू सामान क्रय हेतु 1.00 लाख रु० तक सी.डी.एल. ऋण सुविधा एवं 50,000.00 रु० तक मध्यकालीन ऋण की सुविधा।
8. जन सामान्य को आसान शर्तो पर भवन निर्माण ऋण सुविधा।
9. राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु मु० 40,000.00 रु० तक कम्प्यूटर क्रय करने हेतु ज्ञानोत्कर्ष ऋण योजना प्रारम्भ।
10. उत्तरांचल सहकारी समिति महिला ग्रामीण बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समितियों में महिला समूहों का गठन।
11. सहकारी समितियों के माध्यम से समिति सदस्यों को पुत्री/पुत्र विवाह, चिकित्सा, शिक्षा, टिकाउ घरेलू वस्तु क्रय आदि हेतु अधिकतम 25,000.00 रु० तक ऋण सुविधा।
12. वीर चन्द्र गढ़वाली परियोजना में वित्तपोषण की सुविधा।
13. शीघ्र हल्द्वानी मुख्य शाखा में ए०टी०एम० सुविधा।
14. बैंक की 10 शाखायें पूर्ण रुप से कम्प्यूटरीकृत हैं।
15. वर्तमान में बैंक की 46 शाखायें कार्यरत् हैं, शीघ्र ही 4 नई शाखायें खुलने जा रही है।
16. बैंक का शुद्ध लाभ 31.3.2003 को मु० 1121.11 लाख रु० रहा।
17. 31.3.2003 को बैंक की निजी पूंजी मु० 6488.12 लाख रु० रही।
18. 31.3.2003 को बैंक की कार्यशील पूंजी मु० 58320.95 लाख रही।
19. वर्ष 2002 तक लगातार बैंक की आडिट श्रेणी "ए" रही है।

शेर सिंह लटवाल, सदस्य, प्रशासक मण्डल
टीकम सिंह खेड़ा, सदस्य, प्रशासक मण्डल
इकबाल भारती, सदस्य, प्रशासक मण्डल
महेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रशासक मण्डल
एम०पी० सुगुनन, सचिव/महाप्रबन्धक
राजेन्द्र सिंह नेगी, अध्यक्ष, प्रशासक मण्डल

शुभकामनाओं सहित

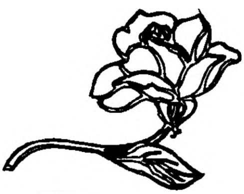

श्री भूपेन्द्र फरासी

(कांग्रेस कार्यकर्त्ता)

176 अजबपुर (कला)

☎ 2672914 (नि.)

शुभकामनाओं सहित :

भावना स्टूडियो

जी०एम०एस० रोड, ग्राम–कांवली, देहरादून

सम्पर्क–विपिन घिल्डियाल

☎ 2727948, 2726618, मो० 9837361128

हार्दिक शुभकामनाएं

दीपक मेहरा

प्रदेश सह प्रभारी

आजीवन सहयोगनिधि भारतीय जनता पार्टी

मानपुर पश्चिम देवल चौड़ हल्द्वानी

☎ 234051

With best compliments from :

Man makes his personality but Clothing gives him the night shape

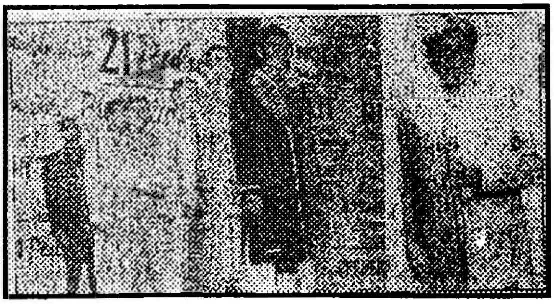

m. younus sons

GENTS WEARS FULL COMPUTERISED DESIGNING

All kind of : Suits, Angrakha, Sherwanis,
Latest Readymade &
Tailored Wedding Wear of Variety. etc.

70, Ghosi lane
Derhadun
Phone : 2656488

With best compliments from :

Ajay Nayal
Vijay Nayal

GARHWAL SHOES

All Kind of : Shoes and Chappal

Shop : Prem Electric Works
115, Paltan Bazar, Dehradun
Resi : Ajabpur Kalan, Derhadun

With best compliments from :

☎ 0135-265225

गणपति ज्वैलर्स

GANPATI JEWELLERS

Exclusive Range of Gold, Diamond Ornaments, Silver Utensils & Lucky Birth Stones, Gems

33, New Market, Opposite G.P.O. Clock Tower Dehra Dun - 248001

शुभकामनाओं सहित :

सिद्धार्थ मारबल्स

- मारबल स्टोन
- ग्रेनाइटस्
- कोटा स्टोन
- स्लेट

उत्तर भारत में संगमरमर का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वोत्तम स्थान

कांवली रोड, देहरादून
☎ 0135-2729800, 2729548, 2620048

कार्यालय नगरपालिका परिषद् काशीपुर

(उधम सिंह नगर)

शुभकामना सन्देश

26 जनवरी 2004 गणतन्त्र दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद, काशीपुर अपने सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनायें समर्पित करती है।

अध्यक्ष
एवं
समस्त सदस्यगण

अधिशासी अधिकारी
एवं
समस्त पालिका परिवार।

शुभकामनाओं सहित :

☎ 05946-289160

दुम्का मैरिज हाल

पूर्ण सुविधाजनक

1. पार्किंग सुविधा युक्त स्थान 200 x 17''
2. 1 वीधा में कैटरिंग व डिनर सुविधा
3. जय माला व धूल्यर्ध विवाह हेतु स्थान 42 वीधा
4. विवाह कक्ष 18 x 17 फीट
5. उपहार कक्ष 18 x 12 फीट
6. लैट्रिन 8
7. बाथरुम 6
8. विश्राम गृह 2 आकार 35' x 16' व 28'x 20'' फीट
9. पानी स्टोर सुविधा -- 20 हजार लीटर

सम्पर्क करें :

संजय प्रकाश दुम्का
ग्राम–विठोरिया बिष्ट घड़ा
कालाढूगी रोड, लालढ़ाठ बाईपास
एवं हाइडिल नैनीताल मार्ग हल्द्वानी
जिला–नैनीताल (उत्तरांचल)

शुभकामनाओं सहित :

☎ 2669534
2669829

उत्तरांचल टूर एण्ड ट्रैवल्स एण्ड प्रोपट्रीज

समस्त भारत भ्रमण हेतु गाड़ियां उपलब्ध है–
जैसे इंडिका, टाटासूमो, एम्बेसडर, इस्टीम, बस आदि के लिए सम्पर्क करें

– प्रो. मुनीष उनियाल

199, हरिद्वार रोड, देहरादून (नजदीक रिस्पना पुल) बाईपास रोड, देहरादून

शुभकामनाओं सहित :

☎ 22419

डोभाल हौजरी एण्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स

धारा रोड, पौड़ी गढ़वाल

हौजरी का समस्त सामान उपलब्ध हर समय मिलता है

With best compliments from :

THE
BEST LIGHT
FOR SUPER SAFETY

COMET

THE ORIGINAL EQUIPMENT
AUTO & MINATURE BULBS

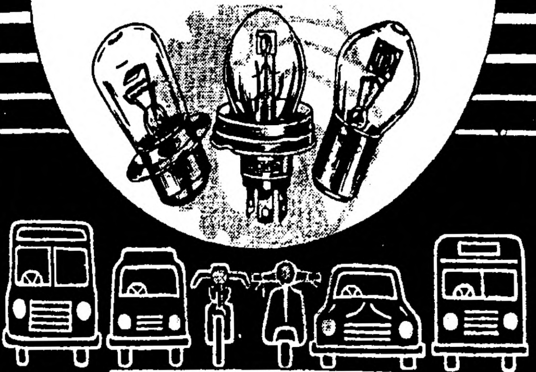

FOR
■ BUSES ■ TRUCKS ■ CARS ■ MOTOR CYCLES
■ SCOOTERS ■ MOPEDS ■ MINERS' CAP LAMPS
■ SURGICAL INSTRUMENTS ■ DEFENCE EQUIPMENTS
■ AIRCRAFTS ■ AIRFIELDS ETC.

COMET
AUTO BULBS

THE MINIATURE BLUB INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
131, Kanwali Road, Dehra Dun-248 001 Phones : 2727349, 2724603, 2725868
Fax : (0135) 2729818 Telex : 0585-21 Gram : Comet

With best compliments from :

☎ 2659261 (S)
2751777 (R)

Khandelwal
Saree Centre

Exclusive
Suiting, Shirting
Suits &
Wedding Sarees

136, PALTAN BAZAR
Dehra Dun

With best compliments from :

Inder Singh

action
Lakhani SHOES
LIBERTY
Campus

FRONTIER
BOOT HOUSE

A House of Variery in foot Wears

106, Paltan Bazar, Dehradun (U.A)
Phone : 2627444 (R) 9897272962 (M)

With best compliments from :

DASS ELECTRONICS

Units D 1 and D2
Govt. Industrial Estate, Patel Nagar, Dehra Dun (U.A) 248 001
Phone : 0135-2724698 Fax : 0135-2725291 E-mail : info@dasselectonics.com

Manufacturers of :

Ground Plane Antenna, Whip Antenna, V/UHF Broadband Antenna, Antenna Mast, Carrying Harness for Radio Sets, Exploder Dynamo Capacitor, Generator Hand Firing, Switch Assy and Switch Board Fire Control for T-72, Components for T-55, Power Supplies, Lead Acid Battery Chargers, Voltage Stabilizer, Ni-CD Battery Chargers, Precision Mechanical Components, R.F. Cable & Harness, Mechanical Assemblies, Sheet and fabricated items, Canvas bags & Accessories, Instrument Cases.

Suppliers of :

High Power Jammers for government installations and VIP Security, Global Positioning System (GPS), Battery Packs (Ni MH, Ni Cd, Alkaline, Lithium Thionyl), RF and millimetres wave components, Obsolete electronic Components.

देशवासियों एवं नगरवासियों को
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

दि पब्लिक कैरियर मोटर एसोसियेशन

काशीपुर (उधमसिंह नगर)
अध्यक्ष
शिवसिंह शिब्बा
☎ 274177

शुभकामनाओं सहित :

ई. पी. एफ. स्टाफ यूनियन हल्द्वानी

रमेश चन्द आर्या
अध्यक्ष

चेतराम सागर
महामंत्री

उमेद सिंह
कोषाध्यक्ष

शुभकामनाओं सहित

शिवा टायर्स

श्रीनगर रोड़, पौड़ी जिला गढ़वाल,

- प्रो0 दुर्गाशंकर नौटियाल

नगरपालिका परिषद हल्द्वानी काठगोदाम
26 जनवरी 2004 गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अपने नगर के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनायें एवं मंगलमय की कामनायें करती है। तथा आपसे अपेक्षा करती है कि–

1. पालिका के करों का समय से भुगतान करें।
2. पालिका से सम्बन्धित सभी लाइसेन्स समय पर बनायें बिना लाइसेन्स के व्यवसाय न करें।
3. पालिका भूमि व बलूलकी भूमि रोड पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें।
4. सड़ी-गली सामग्री का न तो सेवन करें और न ही बिक्री करें।
5. अपने घरों के आस-पास स्वच्छता रखें।
6. पोलिथिनों का प्रयोग प्रदूषण हित में ना करें।
7. सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनायें।
8. नगरपालिका से सम्बन्धित समस्याओं को पत्र के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9. नगर को स्वच्छ साफ व सुथरा रखने में पालिका को अपना सहयोग प्रदान करें।

हरीश चन्द्र शर्मा	ओमप्रसाद सिंह	हेमन्त सिंह
नगर स्वास्थ्य अधिकारी	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
नगरपालिका	परिषद-हल्द्वानी	काठगोदाम, हल्द्वानी

With best compliments from :

SAGAR TAILORS

Specialist-Ladies Suit

79, Ajabpur Kalan
Nearly Crossing No. 2

Prop. Anil Uniyal

शुभ कामनाओं सहित :

श्री चन्द्रभान हौजरी शाप

5, रामा मार्केट, देहरादून
हौजरी का समान,
लेडिज सामान
आप सस्ते दामों पर
प्राप्त कर सकते है

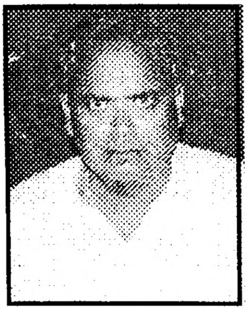

आभागा कौन

हरीश तिवारी, प्रदेश मंत्री
भारतीय मजदूर संघ, उत्तरांचल
निवास – क्वा० नं० 145 टाइप 3 सेक्टर
II BHEL रानीपुर, हरिद्वार
☎ 01334–222104, 09837307771

पौराणिक गाथा है पृथ्वी माता भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनके पुत्र हुआ भूमि का पुत्र है इसलिए नाम हुआ भौम। भूमि ने भगवान से कहा कि भौम आपका पुत्र है। अतएव इसको अमर होने का आर्शीवाद दीजिए। भगवान ने कहा यह असम्भव है। धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु श्री निश्चित है। अतएव तुम्हारा पुत्र अमर नहीं हो सकता। भूमि के बहुत दुराग्रह करने पर परमात्मा भगवान विष्णु ने कहा ठीक है यह तुम्हारा पुत्र भौम अमर तो नहीं हो सकता परन्तु जब तक तुम नहीं चाहोगी। तब तक यह मरेगा भी नहीं। भूमि सन्तुष्ट हो गयी। क्योंकि कौन सी ऐसी अभागी माता होगी जो चाहेगी कि उसका पुत्र मर जाये। बात आयी–गयी हो गयी।

द्वापर युग में यही माता भूमि भगवान श्री कृष्ण की आठ पटरानियों में से एक सत्यभामा के रुप में अवतारित हुई।

भूमि के पुत्र भौम को जब पता चला कि वो मरेगा नहीं। तो अहंकारी हो गया। दुष्ट हो गया। संग्रह की प्रवृत्ति हो गयी। भौम से असुर हो गया। नाम पड़ा भौमासुर। इसने अपने लिए आकाश में एक सुन्दर महल बनाया और जहां से जो भी राजकुमारी सुन्दर लगी उसको पकड़कर अपने आकाश महल में कैद करके रख लिया। यह एक आसुरी प्रवृत्ति है कि जहां भी जो कुछ भी सुन्दर व आकर्षण हो उस पर केवल मेरा ही कब्जा होना चाहिए और इस तरह इस भौमासुर ने सोलह हजार राजकुमारी अपने आकाशीय महल में कैद करके रखी हुई थी।

एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पटरानी सत्यभामा को गरुण पर बैठाकर स्वर्ग में इन्द्र में यहां घुमाने के लिए ले गये। देवराज इन्द्र ने भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा जी का खूब स्वागत किया और विदा के समय सत्यभामा को कल्पवृक्ष प्रदान किया और कहा कि इसको आप राजमहल के आंगन में लगाईयेगा।

भगवान श्री कृष्ण गरुण पर विराजमान हुए वापस आ रहे थे। तब द्वारिका की ओर उनके पीछे अपनी गोद में कल्पवृक्ष लिये सत्यभामा विराजमान थी। तब अपने आकाशीय महल से भौमासुर बाहर

यदि आप का हृदय ईमान से भरा है, तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आप के सम्मुख हथियार डाल देगा। – स्वामी रामतीर्थ

शुभकामनाओं सहित

उत्तरांचल केवल नेटवर्क

1 बी. राजा रोड़, देहरादून ☎ 2625241

26 जनवरी 2004 पर राष्ट्रीय पर्व पर
हार्दिक शुभकामनायें

नैनी पेपर्स लिमिटेड
कुमांऊ सीड्स लि०

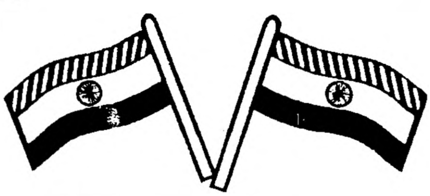

कारपोरेट ऑफिस :
स्टेशन रोड, काशीपुर
फोन नं. 274872, 275972
फैक्स 275872

प्रबंध निदेशक
प्रमोद कुमार अग्रवाल

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर
पाठको को
आल्पस परिवार की ओर से
शुभकामनाएं

आल्पस फार्मास्यूटिकिल प्रा० लि०

फोन : 05962-233028, 233061
औद्योगिक आस्थान पाताल देवी,
अल्मोड़ा 263601 (उत्तरांचल)

विचार बिन्दु

'बड़े भाई' स्व. रामनरेश जी स्मृति ग्रन्थ से संकलित

- जिनकी मांग है उसके पीछे उनकी शक्ति खड़ी करो।
- आज के श्रम कानून मजदूर का जीवन सुखी नहीं बना पाये। ऐसे असक्षम कानूनों को तोड़कर नये कानूनों को लागू कराने वाली शक्ति का नाम ही श्रम संगठन है।
- पैसा, सत्ता और पुलिस के मुकाबले में हमारे पास असंख्य मजदूरों की शक्ति है। जिसको साथ लेकर हम श्रम का पूरा मूल्य लेकर मजदूरों की मान–प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं।
- भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत उत्पादन बढ़ाने में लगा देगा। उसमें किसी से पीछे नहीं रहेगा। पर वह यह भी देखेगा कि परीश्रम की तुलना में उसको लाभ (वेतन) मिल रहा है या नहीं। केवल मुट्ठी भर लोगों के ऐशो–आराम के लिए वह उत्पादन नहीं बढ़ायेगा।
- देश के विकास का मापदण्ड हवाई जहाज, बड़े–बड़े कारखानों का निर्माण नहीं हो सकता। उसका आधार होना चाहिए कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। कितने भूखे पेटों को रोटी मिली, छत, कपड़ा और सम्मान मिला। देश के विकास का अर्थ है – गरीब का विकास।
- भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियनों को चिकित्सालय बनाना नहीं चाहता है जहां मजदूर बीमार होने पर समस्याएं उत्पन्न होने पर, उनका निदान कराने के लिए आयें। इसके विपरीत हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियनें व्यायामशाला बनें जहां पर संगठित होकर मजदूर शक्तिशाली बने ताकि शासन अथवा सरमाएदार उनका हक मारने की हिम्मत ही न कर सकें।
- संगठन के लिए योग्य व्यवहार भी जरूरी है। बातचीत में शब्द प्रयोग का बड़ा भारी महत्त्व है। मन में कुछ न रहते हुए भी वाणी पर संतुलन रखना होगा। जहां कार्यकर्ता में यह भाव आ जाता है कि हम नेता हैं और अन्य अनुयायी। वहीं से अहंकार भाव जागृत हो जाता है। दूसरों के विचार सुनने की तैयारी रहनी चाहिए। मैं जो कहता हूं वही ठीक अन्य जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह बात संगठन को खड़ा करने में बाधक होती है। हमारे अन्दर सहनशीलता और दूसरों की भावनाओं का आदर करने की तत्परता चाहिए।
- आजकल अनेक संगठन चलते हैं। नाम चाहे किसान का हो अथवा मजदूर का, पर वे किसी न किसी राजनैतिक दल के पिछलग्गू होते हैं। उनके उद्देश्य भिन्न और कार्य भिन्न होते हैं। ऐसे

निकल कर आया। उसको सत्यभामा अभी तक जो राजकुमारियां उसने कैद करके रखी हुई थी। उन सभी से बहुत अधिक सुन्दर लगी कल्पवृक्ष भी उसको अच्छा लगा। गरुड़ पर भी उसकी नियत खराब हुई। सभी अच्छी खूबसूरत वस्तुएं मेरे पास रहनी चाहिए। यह तो भौमासुर की वृत्ति थी ही। इस समय बाधा उसको गरुण विराजमान श्रीकृष्ण लगे। तो वह उनसे युद्ध करने लगा। मन में एक ही विचार था कि श्री कृष्ण को मार दूं तो मुझको तीनों दुर्लभ वस्तुएं कल्पवृक्ष, गरुण सत्यभामा जैसी सुन्दर नारी अनायास प्राप्त हो जायेगी। घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण घायल होते चले गये और भौमासुर कामुक दृष्टि से सत्यभामा को घूर रहा था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते–करते उनको घायल कर रहा था। सत्यभामा भौमासुर की कामुक दृष्टि देखकर और भगवान श्री कृष्ण के लगातार घायल होते जाने पर घबरा गयी और घबरा कर श्रीकृष्ण से कहा कि आप इस अभागे का वध क्यों नहीं करते है। इसका तुरन्त वध कर दीजिए। श्रीकृष्ण मुस्कुराये और बोले सत्यभामा जी आपने पहले क्यों नहीं कहा था अभी लीजिए मैं इसका अभी वध कर दिये देता हूँ और इतना कहकर उन्होंने अपने सदर्शन चक्र से भौमासुर की गर्दन काटकर फेंक दी और उसके उस आकाशीय महल से सोलह हजार राजकुमारियों को वहां से मुक्त करके अपने साथ द्वारिका में सम्मानपूर्वक रख लिया।

भौमासुर के सुदर्शन चक्र से मर जाने के पश्चात सत्यभामा जी ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि मेरे पूछने पर आप मुस्कुराये क्यों थे ? आप देख रहे थे वह गंवार मुझको कामुक नजर से घूर रहा था। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा सचमुच में आप सच को जानना चाहती हैं सत्यभामा ने कहा बताईये ना भगवान श्रीकृष्ण बोले वह तुम्हारा ही पुत्र था भूमि के रुप में मैंने तुमको वचन दिया था कि जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा यह पुत्र भौम मरेगा नहीं और यही भौम अपने गलत संस्कारों की वजह से आज भौमासुर के रुप में अपनी माँ को भी कामुक दृष्टि से निहार रहा था।

अतएव यह सत्य है कि वह सचमुच में ही अभागा है। जिसकी मृत्यु उसको जन्म देने वाली उसकी माता भी चाहने लगी थी।

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर

देशवासियों, क्षेत्र के कृषकों, व्यापारियों,
श्रमिक बन्धुओं, मिल के अंशधारकों
एवं शुभचिन्तकों
को हार्दिक शुभकामनायें।

डी. एस. एम. शुगर काशीपुर

यूनिट डी० एस० एम० एग्रो प्रोडक्टस लि०

काशीपुर–244714
जिला उधम सिंह नगर

उत्तरांचल
फोन : 275036 / 275027
फैक्स : 05947–275226

निर्माता –

शुद्ध सफेद दानेदार
एवं सर्वोत्तम चीनी के उत्पादक

एस० के० भटनागर
प्रधान प्रबन्धक

कार्य या संगठन खड़े नहीं हो पाते। आप सब कार्यकर्ताओं के सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। राजनैतिक दलों से पृथक रहकर कार्य करना चाहिए। राजसत्ता पाने के लिए जो भी मंच सुगमता से मिल सके वह मंच पकड़ना अपने कार्यकर्ताओं की दृष्टि नहीं है। यद्यपि राजनीति के माध्यम से अन्य बहुत सी चीजे प्राप्त हो सकती है किन्तु उस दुर्बलता को त्यागकर किसी अन्य उद्देश्य को अपनाए बिना अगर हम कार्य करेंगे तभी सफलता मिलेगी।

- किसी भी संगठन को साधनों की आवश्यकता रहती है पर संगठन में अर्थ की प्रधानता उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। संगठन के कार्यकर्ता के लिए अर्थ का योग कहीं और से प्राप्त होना कार्य को चौपट कर देने वाली बात है। साधन प्रधानता आते ही संगठन चला पाना संभव नहीं होता। जो संगठन स्वयं अपने प्रयास से साधन जुटाते हैं वही सफलता पूर्वक चल सकते हैं। संगठन को सदैव ही अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी उसकी नीति रह सकती है।

संकलनकर्ता
केवलानन्द सांगुड़ी
कार्यकर्ता
भारतीय मजदूर संघ
रानीबाग नैनीताल

वी०के० देवरा
जिलामंत्री, देहरादून

संगठन मात्र लोगों की भीड़ नहीं है...............

संगठन एक सामाजिक आवश्यकता है, समाज की अनिवार्यता एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य सुरक्षा की अर्न्तनिहित भावना से समाज में रहता है। यूँ तो यह प्रवृत्ति पशु–पक्षियों में भी है, किन्तु मनुष्य की समुदाय में रहने की इसी प्रवृत्ति के कारण गांव, नगर, शहर बसे जो मनुष्य के समूह में रहने की प्रक्रिया के कारण है।

संगठन का निर्माण एक से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने से होता है, किन्तु संगठन और भीड़ में अन्तर है। संगठन का एक लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धान्त नियम व उपनियम होते है साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्धेश्य निर्धारित रहता है। जबकि भीड़ में सबका लक्ष्य, उद्धेश्य अलग–अलग होता है, उसका सामूहिक स्वरुप नहीं बन पाता है। इसलिए भीड़ को संगठन नहीं कहा जा सकता। संगठन का कार्य ठीक प्रकार सम्पादित हो, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है :–

1. **सम्पर्क :** संगठन के सुचारु संचालन एवं विस्तार के लिए 'सम्पर्क' आवश्यक तत्व है। सम्पर्क के लिए आवश्यक है–सम्पर्क करने वाले कार्यकर्त्ता की वाणी मधुर हो, हृद्रय ठन्डा व कोमल हो, कठिन परिश्रम करने का स्वभाव हो एवं सबकी बात सुनने का धैर्य हो।
2. **कार्यक्रम** : संगठन के लिए कार्यक्रम एवं उनका नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। संगठन निर्माण के बाद यदि समय–समय पर कार्यक्रम नहीं किये गये अथवा योजनाबद्ध तरीके से नहीं किये गये तो उसके परिणामस्वरुप – (1) संगठन में शिथिलता आती है।
   (2) संगठन में अनेक प्रकार की गतिविधियां शुरु हो जाती जो संगठन के लिए हानिकारक होती है।
3. **संस्कार :** हम जिस संगठन से सम्बद्ध है उसकी रीति–नीति, आचार व्यवहार, सिद्धान्त, उद्धेश्य, लक्ष्य, कार्यपद्धति कैसी है, इनके प्रति हम कितने जागरुक एवं संस्कारित है इसकी चिन्ता करना एवं उसके लिए प्रयास करना सगठन के लिए परमावश्यक है।
4. **लोकधन :** जिस समाज का संगठन है उसी के कर्मचारियों, कार्यकर्त्ताओं से ही धन लेकर उसका उपयोग संगठन के कार्य के लिए किया जाय। इस बिन्दु का यदि पालन किया जाय तो संगठन निःस्वार्थ भाव से ठीक गति से चलता रहेगा। धन की देवी लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होती है। कहावत है कि उल्लू जिसके ऊपर बैठ जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। अतः धन पर नियन्त्रण होना आवश्यक है न कि धन हम पर नियन्त्रण कर ले।

देश के प्रति मेरे विचार

"सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा"

भारतवर्ष सारे संसार से अच्छा है । वह वाटिका है । जिसके हम पक्षी है । भिन्न-भिन्न धर्मों के होते हुए भी हमें मिलकर रहना है । क्योंकि हम भारतवासी है । भारत अर्थात् वह देश जिसकी रक्षा आसमान से बातें करने वाला हिमालय करता है

स्वर्ग जिससे स्पर्धा करता है । क्योंकि इसकी गोद में खेलती हुई हजारों नादियाँ इसे नंदन वन से भी मनोहर बना देती है । भारत वह देश है । जिसका मुकुट हिमालय है व जिसके पैरो को सागर धो रहा है ।

भारतीय संस्कृति एक अद्वैत संस्कृति है । अन्यत्र देशों में ऐसी संस्कृति देखने को नहीं मिलती है । भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है ।

"ऐसा देश कभी ना देखा, कभी न सुना है ।
देशों का सरताज यह भारतदेश है ।"

दीपक सिंह कुंवर बिष्ट
कक्षा 10th (A)
स्कूल रा०इ०का० अल्मोड़ा

उसे उचित फोरम पर चर्चा के लिए रखना चाहिए। चर्चा मे कुछ बातों का ध्यान रहे चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना जाये, व्यक्ति को अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। सभी का मत जानने सुनने के बाद सामुहिक निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि अपनी बात के विरोध मे अधिकांश सदस्य है तो उसे रोक देना चाहिए चाहे वह विषय कितना भी सही हो। कभी–कभी बैठक में बात रखने वाला अधिक देर तक जोर देकर अपनी बात रखता है और उस विषय को मान लिया जाता है उस प्रकार निर्णय लेना उचित नहीं है।

बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन की योजना बननी चाहिए, इसके लिए कार्य का वितरण होना चाहिए, सदस्यों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर कार्यक का विभाजन होना चाहिए, कार्यक्रम के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर इसका श्रेय सदस्यों को अधिकाधिक देना चाहिए, स्वयं श्रेय लेने से बचना चाहिए, इससे उन कार्यकर्त्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा स्वयं भी अहंकार से बचते है। कार्यक्रम में हुई गलती को अपने ऊपर लेकर उसमें सुधार करना चाहिए।

संगठन के विस्तार के साथ सफलता मिलने व अनुकूल परिस्थितियां में कुछ कार्यकर्त्ताओं में "मैं" "मेरा" की अहंकार वाली प्रवृत्ति जन्म ले लेती है जो उसे मुख्य लक्ष्य से भटकाकर संगठन का अहित कर देती है।

गुरु द्रोणाचार्य में 'मैं' और 'मेरा' का बहुत बड़ा दोष था। वे अपने पुत्र अश्वथामा को बहुत प्यार करते थे। महाभारत के युद्ध में कृष्ण को पता था कि यदि द्रोणाचार्य युद्ध में डटे रहे तो कोई भी पांडव टिक नहीं पायेगा। अतः कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा किन्तु युधिष्ठर ने अपने 'मैं' और 'मेरा' के कारण स्वीकार नहीं किया। फिर कृष्ण ने उनसे सच ही बोलने के लिए कहा कि –"अश्वथामा हतौ हतः नरौ अथवा कुंजरौ"। अन्तिम शब्दों पर कृष्ण ने शंख ध्वनि करवा दी। इसे सुनकर द्रोणाचार्य ने मेरा पुत्र मारा गया, मैं और मेरा के कारण हथियार डाल दिये और सेनापति का महत्वपूर्ण दायित्व एवं कर्त्तव्य भूल गये।

इसी प्रकार भीष्म पितामह जिनके ऊपर सम्पूर्ण कौरण सेना कर दायित्व था, किन्तु मैं और मेरी प्रतिज्ञा के कारण अपना दायित्व भूल गये। कर्ण भी दानी प्रवृत्ति के थे और मै व मेरी प्रतिज्ञा न टूटे के कारण भूल गये कि वे कौरव सेना के सेनापति है।

इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है जिससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है। अतः मैं को अपने अन्दर न आने दे, इसी पर संगठन की सफलता निर्भर है।

5. **संगठनात्मक शक्ति** : किसी भी संगठन की शक्ति उसकी 'बाह्य शक्ति' अर्थात् 'जन शक्ति' एवं 'वास्तविक शक्ति' अर्थात 'आन्तरिक शक्ति' पर निर्भर करती है। संगठन के सदस्यों की संख्या उसकी 'जनशक्ति' है। इसमें मिलावट की मात्रा अधिक होती है तथा स्वार्थ का प्रतिशत भी अधिक रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में जनशक्ति बढ़ती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में घटती है। जिस प्रकार बरसात में सभी नदी–नाले प्रवाह के साथ बहते है किन्तु वास्तव में नदी तो वह है जो प्रत्येक मौसम में अपने उसी प्रवाह से बहती है। विपरित परिस्थितियों में संगठन की 'वास्तविक शक्ति' का आंकलन होता है। इमरजेंसी के दौरान भारतीय मजदूर संघ को अपनी वास्तविक शक्ति का पता लगा। जो ढुलमुल थे वे संगठन छोड़ गये जो वास्तविक थे वही भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहे। संगठन की 'वास्तविक शक्ति' अर्थात 'आन्तरिक शक्ति' का आंकलन निर्भर करता है कि कितने सदस्य संगठन के सिद्धान्त, आदर्श, ध्येय, रीति–नीति को मानने वाले एवं व्यवहार में लाने वाले है, चरित्रवान, निष्ठावान, ईमानदार व निःस्वार्थ भाव से संगठन के कार्य को करने वाले अर्थात् एक आवाज पर संगठन के कार्य के लिए तत्पर होने वाले है।

'आन्तरिक शक्ति' में भी एक और शक्ति है – एकात्म शक्ति–प्राण शक्ति ऐसे कार्यकर्त्ताओं का समूह जिनकी सोच, सिद्धान्त, आदर्श एक हो, जिनके अन्दर मतभिन्नता तो हो सकती है। किन्तु मनभिन्नता न हो

संगठन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है – धनशक्ति– संगठन के संचालन के लिए धन की भी अनिवार्य रुप से आवश्यकता होती है। अनुभव यह भी आता है कि कम धन होने से कार्यक्रम प्रभावित होते है साथ ही धन की अधिकता होने पर इसके अपव्यय होने से संगठन को नुकसान होता है। तो इसका मापदण्ड है--आवश्यकतानुसार धन

कहावत भी है – **सांई इतना दीजिए, जा में कुटुम्ब समाय**
मैं भी भूखा न रहूं, साधू न भूखा जाय ।

अर्थात कम धन होना एवं अधिक होना दोनो ही स्थितियां नुकसानदायक है। अतः आवश्यकता के अनुसार ही धन होना चाहिए।

6. **संगठन का संचालन** – उपर्युक्त सभी तत्व होने पर भी सबसे महत्वपूर्ण है इन्हें व्यवहार में लाना अर्थात् संगठन का संचालन किस प्रकार हो यह जानना व कार्यरुप देना। संगठन में अनेक लोगो के अनेक विचार होते है अतः निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिये कि सामूहिक निर्णय लेना ही सार्वधिक उचित है किन्तु ध्यान रहे सामूहिक निर्णय भी यदि संगठन की रीति–नीति एवं सिद्धान्तों के विपरीत है तो उसे ठुकरा देना चाहिए।

चिन्तन, चर्चा, निर्णय, क्रियान्वयन एवं सफलता के लिए किसी कार्यकर्त्ता के मन में विचार आया तो

तो वह ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता है। अतः संगठन को यदि जिन्दा रखना है तो उसे मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक तथा त्रैवार्षिक कार्यक्रमों का निर्माण अवश्य करना चाहिए तथा न केवल निर्माण करना चाहिए अपितु उनके क्रियान्वयन पर भी पैनी निगाह रखनी चाहिए। यही क्रम अपने संगठन भारतीय मजदूर संघ में भी अपनाया गया है। जहां हम अपनी स्थानीय मांगों के समर्थन में गेट मिटिंग धरना प्रदर्शन तथा रैली समर्थन इत्यादि आयोजित करते हैं वही मांग की गम्भीरता के आधार पर हड़ताल तथा भूख हड़ताल से भी पीछे नहीं रहते हैं किन्तु संगठनात्मक गतिविधियों के लिए यह परम आवश्यक है कि यूनियन तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह एक बैठक कार्यकारणी समिति की होनी चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र तथा प्रान्त व महासंघ आदि में भी अपनी बैठक न्यूनतम तीन माह में एक बार आयोजित करनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ इसी परम्परा को बनाए हुए है तथा राष्ट्रीय कार्य समिति तथा अधिवेशन भी नियत समय पर सम्पन्न होते हैं। यही कारण है कि आज कार्यक्रमों की दृष्टि से भी भारतीय मजदूर संघ अपने सामाजिक तथा सांगठनिक दायित्वों को पूरा कर रहा है।

कार्यालय :– संगठन की तीसरी और महत्ती आवश्यकता है कि संगठन का अपना कार्यालय हो। जहां पर कार्यकर्ता बैठकर विचार–विमर्श, चर्चा इत्यादि कर सकें। अपने कार्यक्रमों की समीक्षा तथा मूल्यांकन कर सकें तथा कार्यालय के माध्यम से परस्पर सामंजस्य बना रहे। कार्यालय स्थायी हो तथा वहां आना–जाना मिलना आदि का कार्य भी चलता रहना चाहिए। किसी भी संगठन में कार्यालय का सही रख रखाव तथा सम्पर्क संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का भण्डार साबित हो सकता है। वहीं यदि कार्यालय अव्यवस्थित है तथा विभिन्न प्रकार की गुटबंदी, क्षेत्रबंदी अथवा अव्यवस्था व अराजकता का केंद्र बन जाये तो निष्ठावान से निष्ठावान कार्यकर्ता का धैर्य भी जवाब दे सकता है। इस लिए संगठन के कर्ता धर्ताओं की यह जवाबदेही बन जाती है कि जहां संगठन का अपना कार्यालय हो वहां यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वह आवश्यक रूप से व्यवस्थित हो। कार्यकर्ता वहां आकर ऊर्जा ग्रहण कर सके। जब वह कार्यालय से जाये तो उनके मन में संगठन के कार्य के प्रति उद्दात्त प्रेरणा हो तथा कार्यालय कार्यकर्ताओं को वह सभी जानकारी भी प्रदान कराता रहे जिसकी अपेक्षा कार्यकर्ता करते हैं। कभी–कभी अनावश्यक खानापूर्ति कार्यकर्ताओं की परेशानी का कारण बन जाती है। संगठन के जिम्मेदार सदस्यों को ऐसी व्यवस्था को सरल भी बनाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संगठन का कार्य करते हुए कार्यालय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कड़ी है।

कोष :– संगठन के सबसे अन्तिम तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग का नाम है कोष। कोष जहां संगठन के समस्त कार्यों, क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों को सम्पन्न कराने का माध्यम है। वही कार्यकर्ताओं के आवश्यक खर्चों की भरपाई कार्यालय का व्यय आदि के लिए भी कोष की आवश्यकता होती है। सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों की बात अगर छोड़ दें तो शेष सभी संगठनों के कोष का

चार सूत्र संगठन का मूलमंत्र

देवदत्त आर्य,
प्रदेश वित्त सचिव

किसी भी जीवित चलायमान तथा समृद्ध संगठन के लिए निम्न चार सूत्रों व पालन करना अनिवार्य है। जब तक यह चारों सूत्र एक साथ मिलकर परस्पर कार्य नहीं करेंगे तब तक संगठन की अवधारणा पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए सांगठनिक कार्य में लगे प्रत्येक जन को इन चारों चीजों के संवर्धन के लिए प्राणपण से प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह चार सूत्र हैं :–

1. कार्यकर्ता
2. कार्यक्रम
3. कार्यालय
4. कोष

उपरोक्त चारों सूत्रों को हम चार कक्के भी कह सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से लेकर 48 वर्षों की गरिमामय यात्रा तथा उपलब्धि में इन्हीं चार कक्कों का सर्वाधिक योगदान रहा है। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में विचार करें।

कार्यकर्ता :– कार्यकर्ता अथवा स्वयंसेवक ही वह रीढ़ की हड्डी है जो किसी भी संगठन के लिए परमावश्यक है। यदि संगठन के पास योग्य तथा समर्पित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम है तो वह संगठन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से कर सकता है। उसके लिए कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना दुष्कर नहीं होगा। वहीं यदि कार्यकर्ता ढीले, आलसी, आचरणहीन होंगे तो संगठन के उद्देश्य भले ही कितना भी सारवान क्यों न हो वह अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि संगठन में योग्य विचारशील चरित्रवान तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के निर्माण की प्रक्रिया सतत् चलती रहनी चाहिए। तभी हम संगठन को जीवन्त तथा ऊर्जावान बना सकते हैं। यही बात भारतीय मजदूर संघ के सन्दर्भ में भी कही जा सकती है। भारतीय मजदूर संघ इस बात का जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है कि विगत वर्षों में शून्य से शिखर तक पहुंचने में समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन धन तथा स्वार्थ व महत्वाकांक्षा का परित्याग करके पूर्ण निष्ठा के साथ संगठन को गति देने का कार्य किया है।

कार्यक्रम :– किसी भी संगठन को ऊर्जावान बनाये रखने हेतु दूसरा कारक है कार्यक्रम। संगठन की गतिविधियां उसका चेहरा तथा चरित्र संगठन द्वारा लिए गए कार्यक्रमों से ही उजागर होता है। संगठन अपनी विचारधारा को समाज में लोगों के बीच पहुंचाने के लिए निरन्तर कार्यक्रम करता रहे तथा कार्यक्रमों के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्शाता रहे। यदि किसी संगठन के पास कार्यक्रम ही नहीं है

अपना पसीना बहाओ

इन सब पूजा–पाठ, जप–तप और मंत्र–पाठ व स्तुतिगानों को पड़ा रहने दो। मन्दिर के किवाड़ बंद किए अंधकारमय जनहीन कोने में गुपचुप बैठकर मन ही मन तू किसको पूजता है? आंखे खोलकर तो देख तेरे आराध्य देव मंदिर में नहीं हैं।

वे तो वहां विराजते हैं जहां बंजर तोड़कर खेतहर खेती करते हैं, जहां पथ निर्माता मजदूर पत्थर कूट रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं और जहा की बारहमासी परीश्रम से लिखी जाती है। बरसात हो या कड़कती धूप वे उनके बीच मे ही मौजूद रहते हैं। उनके दोनों हाथ माटी में सने रहते हैं। यह आडम्बर पूर्ण पवित्र पोशाक उतार फेंक और उनके समान ही धूल–माटी में रम जा।

मुक्ति? कहां मिलेगी यह मुक्ति। हमारे नाथ तो खुद ही अपने को सृष्टिबंधन में बंधवा बैठे हैं। वे हमारे साथ सदा के लिए सम्बद्ध (सम्बंधित) हो गये हैं।

ये ध्यान–पूजा और फूलों की डाली पड़ी रहने दे न, कपडे फटे या धूल माटी में सने परवाह नहीं। तू कर्मयोग में उनका साथी बनकर अपना पसीना बहा।

रवीन्द्रनाथ टैगोर

मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नैनीताल में प्रदर्शन

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) के दवाब में आकर सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठनों ने शुक्रवार को मंडल मुख्यालय नैनीताल में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्रमिक नेताओं ने डब्लेटीओ के विरोध में सभी संगठनों से एकजुट होने का आहान किया गया। मजदूर संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा डब्लूटीओ के दवाब में अपनायी जा रही मजदूर विरोधी नीतियों के कारण ही कई महत्वपूर्ण उद्योग बंद हो चुके है। उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। काम के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। देश के नौ रत्न माने जाने वाले तकरीबन 66 सार्वजनिक उपक्रमों की हालत खस्ता हो चुकी है। वक्ताओं ने रोजगार के अवसर बढ़ाने, निजीकरण को बंद करने, श्रम कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव वापस लेने और मात्रात्मक प्रतिबंध को तुरंत समाप्त करने की मांग की। इससे पूर्व भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जनपद के एचएमटी श्रमिक संघ, सेंचुरी पल्प एंड पेपर स्टाफ एसोसिएशन व श्रमिक संघ, एलआईसी मजदूर संघ, विद्यालय कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी श्रमिक संघ, होटल कर्मचारी संघ, परिवहन, मुख्य सहायिका समेत तकरीबन दर्जन भर श्रमिक संगठनों के सैकड़ो कर्मचारी मल्लीताल रिक्शा स्टैण्ड पर एकत्र हुए। तत्पश्चात वहां से एक विशाल रैली निकाली गयी यह रैली माल रोड होते अंत में कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गयी। श्रमिकों ने नारे भी लगाये। सभा की समाप्ति के बाद भारतीय मजदूर संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन को भेजे।

प्रदर्शन में संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश चंन्द्र जोशी व बसंती साही, जिलाध्यक्ष एन.आर. आर्या, मंत्री जोध ा सिंह रावत, उपाध्यक्ष लीला बोरा के अलावा केवला नन्द सांगुडी, निशा सक्सेना, दान सिंह सूर्या, हेमा बिष्ट, गीता दर्मवाल, हरीश चन्द्र पांडे, पूरन चौधरी, मंजू भट्ट, खड़क सिंह बिष्ट, मुन्नी सिंह चौहान, डी.एस. सिरोही आदि कई श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य आधार उसके सदस्यों तथा शुभचिन्तकों द्वारा दिया जाने वाला चन्दा तथा सहयोग राशि ही होती है। जिसका रख रखाव तथा लेखाबंदी की जिम्मेदारी संगठन की होती है। जहां मुख्य रूप से संगठन का कोषाध्यक्ष इसके लिए नियुक्त किया जाता है वहीं संस्था के अध्यक्ष मंत्री का भी दायित्व बन जाता है कि वह सदस्यों तथा शुभचिन्तकों से प्राप्त धन का सही–सही अर्थों में उपभोग करे। इसके लिए उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा, सम्पर्क तथा ईमानदारी की आवश्यकता है। इसी लिए किसी भी संगठन के मुख्य पदाधिकारियों को न्यूनतम एक माह में एक बार यह आवश्यक सुनिश्चित करना चाहिए कि कोष में लेखाबंदी सही–सही सुचारू रूप से चल रही है अथवा नहीं।

बुजुर्गों ने कहा है कि धन की पूंछ सांप से भी ज्यादा चिकनी होती है। कब हाथ से फिसल जाए पता ही नहीं चलता। इसके साथ ही यदि संगठन के कोष पर पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती जायेगी तो यह पतन का कारण बनते भी देर नहीं लगायेगा। संगठन में कोष का पर्याप्त मात्रा में होना तथा लगातार बने रहना जितना आवश्यक है। उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है उसका रख रखाव तथा संगठन के कार्यों को सम्पन्न कराने की इच्छाशक्ति। अतः स्पष्ट है कि संगठन के लिए कोष की बहुत बड़ी आवश्यकता है तथा आज यह सिद्ध भी हो चुका है कि बिना कोष के कार्यक्रम तथा कार्यालय के खर्च पूरे नहीं हो सकते। वहीं कार्यकर्ताओं के सामान्य जीवन यापन का आधार भी यही कोष है।

उपरोक्त समस्त चारों कारक किसी भी संगठन के आधारभूत ढांचे के मुख्य स्तम्भ हैं और संगठन को ऊर्जावान व प्राणवान बनाने के लिए, बनाये रखने के लिए इन चारों कक्कों को बनाये रखना अत्यावश्यक है। अपने सभी सुधीजन अपने–अपने क्षेत्र में इन चारों आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण समर्पण तथा निष्ठा से आत्मसात करते हुए कार्य करेंगे। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए।

देवदत्त आर्य, प्रदेश वित्त सचिव

हमारी प्रेरणा

संघ का कार्य कठिन है पर हमें सोचना होगा कि हमारी प्रेरणा क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, मानसम्मान की भूख लेकर चलने वाले कार्यकर्ता किसी महान लक्ष्य को लेकर नहीं चल सकते।

हमने महान लक्ष्य रखा है। अतः पहले अपनी जीवन–प्रेरणाओं को जानें।

भाउराव देवरस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

सहनशील होना अच्छी बात है परन्तु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। जयशंकर प्रसाद

With Best Compliments from :

RANA ELECTRONICS & ELECTRICALS

RANA ELECTRONICS & ELECTRICALS

Nagar Palika Road, Bazpur - 262401 (U.S. Nagar)

Manufacturer :- Stabilizers 0.3 to 15 KVA. Single Phase & Three Phase
Solid State-Servo & CVT., Power Invertor & All Type of Transformer.

Experts In :- Air Conditioner, Deepfreezer, Refrigerator, Water Cooler
& All Types of Electronic Instruments & Equipments.

शुभकामनाओं सहित :

राजेन्द्र सिंह बिष्ट

ब्लाक महामंत्री भारतीय जनता पार्टी

ग्राम छड़ायल सुयाल पो० मानपुर पश्चिम
जिला नैनीताल

With Best Compliments from :

काशीपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि०

काशीपुर (उधमसिंह नगर)

26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्रावासियों सहित सभी खातेदारों व अंगधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है।

संचालक मण्डल

सर्वश्री विष्णु प्रकाश अग्रवाल	अध्यक्ष	सर्वश्री रामकृष्ण महरोत्रा	संचालक
सर्वश्री चौ० प्रताप सिंह	संचालक	सर्वश्री प्यारे लाल टण्डन	संचालक
सर्वश्री सतीश चन्द्र शर्मा	संचालक	सर्वश्री डा० रामभरोसे लाल सागर	संचालक
सर्वश्री स्वतन्त्र कुमार वैगिया	संचालक	सर्वश्री प्यारे लाल टण्डन	संचालक
सर्वश्री सुशील कुमार अग्रवाल	संचालक	सर्वश्री डा० रामभरोसे लाल सागर	संचालक
सर्वश्री राजपाल सिंह चौहान	संचालक	सर्वश्री चौ० विजय सिंह	संचालक
सर्वश्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	उपाध्यक्ष	श्रीमती राजकुमारी मल्होत्रा	संचालक
		श्री जीवन तिवारी	सचिव

शुभकामनाओं सहित :

ग्रोवर सोप एण्ड जनरल स्टोर

बाजपुर–262401 (ऊधमसिंह नगर)
फोन : 05949.281674 एवं 283391
यू.पी.एस. नं. के.पी. 0071582

With best compliments from :

ACE COPIER SERVICES

Also Deals in :-
Sales, Service, Spares
Consumables of CANON Photocopiers
Lamination, Binding, Fax
and other office Automation Products.

103/3 OLD NEHRU COLONY
DEHRADUN (U.A)
Ph. 9412054196

With Best Compliments from :

FEROZ ELECTRIC WORKS

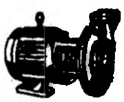

'A' Class Govt. Licence Holder & Contractor

Supplier of

- Motor Binding
- A/C Repairing
- Alternator
- Fitting

Construction of H.T.L.T. Lines etc.

Maszid Market, Bazpur (U.S. Nagar)
☎ : 05949-2834450

U.P.S.T. No. KP-0062090 C.S.T. No. KP-502507

उत्तरांचल जल संस्थान जल सेवा में प्रयासरत

उत्तरांचल जल संस्थान पूर्व में गढ़वाल जल संस्थान एवं कुमाँऊ जल संस्थान को स्थापना वर्ष 1974 में भिन्न भौगोलिक स्थिति में गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल में स्वच्छ पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिए संस्थान अपने कठिन उद्देश्य हेतु निरन्तर प्रयासरत है। गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल के उपात्यक स्थित कतिपय नगरों को छोड़कर विसम भूतल होने के कारण एवं मार्गो की स्थिति के कारण जल पूर्ति करना एक प्रकार से चुनौती पूर्ण कार्य था। इसी चुनौती के कारण वर्ष 1974 में दोनो मण्डलों में संस्थान की स्थापना की गयी थी, जिसके कार्यालय दोनो मण्डलों के जनपदों में स्थापित किये गये। संस्थान के प्रभावी संचालन के लिये एक सक्षम निदेशक मण्डल का गठन किया गया। अपने स्थापना काल से ही निर्देशक मण्डल के कुशल नेतृत्व में दोनो संस्थान सदैव ही सचेत हो कर कार्य करते आ रहे है। इतने विरल एवं विशाल क्षेत्र में संस्थानों के पास पेयजल योजनाएं आंशिक बढ़ तथा कुछ योजनाएं पूर्णतया बन्द थी। तत्पश्चात् वर्ष 1990–91 में कुछ योजनाएं जल निगम से रख–रखाव हेतु हस्तान्तरित हुई, जिनमें 1993–94 में जिला योजना में सम्मिलित करते हुए शासन से धनराशि आवहित की गयी। शासन से अवमुक्त धनराशि से पेयजल योजनाओं का जीर्णोउद्धार किया गया तथा निष्क्रय पेयजल योजनाओं को चालू किया गया। वर्तमान मे संस्थान के रख रखाव में जो योजनाएं है उनमें से कुछ के द्वारा राजस्व ग्रामों उपग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से कुछ योजनाएं बन्द है, जिन्हें चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

योजनाओं की वृद्धि के बाद संस्थान अपने सीमित साधनों के होते हुए भी जल सेवा के प्रति कृत संकल्प है। योजनाओं के साथ स्वास्थ्य इसके क्षेत्र का भी स्वीकार हुआ संस्थान ने केवल नयी योजनाएं बनायी बल्कि पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्वार भी किया। दुर्शय क्षेत्रों की योजनाएं तैयार तो कर ली जाती है। लेकिन रख रखाव के अभाव में कुछ ही समय में योजनाएं बन्द हो जाती है। ऐसी ही निष्क्रय योजनाओं को संस्थानों ने पुर्न जीवन प्रदान किया है।

निरन्तर बढ़ती आबादी के कारण नगरों में पेयजल आपूर्ति एक समस्या बनती जा रही है। साथ ही तीर्थस्थानों के मार्गो तथा पर्यटनस्थलों पर भी जल सेवा प्रदान करता आ रहा है। साथ ही स्वच्छ जल नियमित रुप से प्रदान करना भी संस्थान का दायित्व है जिसका निर्वाहन पूर्ण किया जा रहा है साथ ही दोनो मण्डलों में प्रयोगशालाएं भी बनायी गयी है जो कि पेयजल के नमूनों की नवीनतम

तकनीको से जांच करती हैं समस्त, योजनाओं में पेयजल की शुद्धता बनाये रखने हेतू वर्ष भर क्लोरिफिकेशन किया जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि जीवाणु एवं गन्दगी (घुलित–अघुलित) को शुद्ध कर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा सके।

जल निगम द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाता रहा है लेकिन योजना में कमियों के कारण जल संस्थान इन योजनाओं को नहीं ले पा रहा है। दोनो विभागों के कार्यो की शैली से आम उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है।

साथ ही अधिकांश योजनाएं नलकूप मैदानी क्षेत्रों मे भूमिगत जल से पेयजल आपूर्ति कर रहे है तथा इसी प्रकार नलकूप विभाग भी हैण्ड पम्प लगा कर भूमिगत जल का निरन्तर दोहन करते आ रहे है। जबकि विश्व के वैज्ञानिक एवं राजनेता बार–बार शुद्ध जल की कमी होने की बात गोष्ठिया एवं सभाओं में करते आ रहे है।

नलकूपों से पेयजल की व्यवस्था हेतु विद्युत का प्रयोग किया जाता रहा है। अब कुछ स्थानों पर जनरेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। इस विस्तार वाले विशाल धरातलीय भूखण्ड में दूर–दूर तक छितरा अत्यन्त छोटे गांवो तथा उपत्यका प्रान्तरीय कस्बों व नगरों में पेयजल की आपूर्ति करने हेतु संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी कृत संकल्प है। पेयजल आपूर्ति में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी के कारण अधिक परिश्रम के बावजूद संस्थान जल पूर्ति बाधाओं को पूर्णतया दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। कभी–कभी पेयजल आपूर्ति में व्यवधान होने पर जनता क्रोधित हो जाती है। उस समय हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी बड़े धैर्य के साथ उनकी समस्या के निराकरण के लिये प्रयासरत रहते है।

नगरों एवं कस्बों में सिंचाई के लिये नलकूपों से निरन्तर पेयजल दोहन के कारण पेयजल (शुद्ध) की भविष्य में गम्भीर समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए भूमिगत जल के स्थान पर भूमि के उपर सतह के जल को अधिक संगृहित किया जाना आवश्यक है साथ ही वर्षा के जल के संग्रहण के भी प्रयास किये जाने चाहिए। जिस प्रकार दक्षिण भारत के महानगरों तथा राजस्थान आदि में वर्षा के जल को संग्रहित करने का निराकरण किसी हद तक किया जा सकेगा। इस गम्भीर समस्या के निराकरण के लिये सभी सम्बन्धित सभी उपक्रमों को सचेत एवं गम्भीर प्रयास करने होगे। और आगामी युद्ध तेल के स्थान पर जल के लिये होगा निश्चित है।

(सुदामा प्रसाद नवानी)
नागरिक सुरक्षा कोर देहरादून

शुभकामनाओं सहित :

भारतीय जनता पार्टी

(व्यापार प्रकोष्ठ) उत्तरांचल

अनिल गोयल

प्रदेश अध्यक्ष

कार्यालय : 13 गांधी रोड, देहरादून-248 001 उत्तरांचल

(कार्य.) 091-135-2657979, 2710301 (नि.) 2655242, 2655272

फैक्स : 091-135-2654213 ई-मेल : geeply@sancharnet.in

एक दर्द भरी आवाज

सरहदों के पास एक गुमसुम सी आवाज
देखा नहीं था ऐसा जो देख रहा हूँ,
आज एक माँ बैठी थी अपने शहीद बेटे के पास
आंखो में आंसू थे दिल में भरी थी करूणा
पहले तो खोया था, सुहाग, अब बुझ भी गया चिराग
सरहदों के पास एक गुमसुम सी आवाज,
अब दिल में रही थी आश सब कुछ लुट गया, आज
अब तो गम ही है गम है सूने आंचल में, मृत्यु का है इन्तजार
कुछ अरमान थे शायद सपनों के जो टूट कर बिखर गये है, आज
एक दर्द था, सीने में जिसकी कल्पना भी न की थी मन में
कब बीत गये वो दिन, था इस दिन का इन्तजार था।
सरहदों के पास एक गुमसुम सी आवाज।

पूरन सिंह (कुवर विष्ट) विष्ट
(होम प्रमुख अल्मोड़ा)
भारतीय मजदूर संघ
उत्तरांचल

जीवन क्या है ?

जीवन कर्त्तव्य की पुकार है - उसका पालन करो।
जीवन एक उपकार है - उसे स्वीकार करो।
जीवन एक साहासिक कार्य हैं - उसमें सफलता प्राप्त करो।
जीवन दुःखों से परिपूर्ण हैं - सहनशक्ति पैदा करो।
जीवन एक कर्त्तव्य पथ हैं - उसको सफलतापूर्वक निभाओं।
जीवन एक क्रीड़ास्थली है - दिल से खेलो
जीवन एक रहस्य है। - उसके रहस्य को खोलो।
जीवन एक संगीत है। - स्वर सहित गान करो।
जीवन एक स्वर्ण अवसर है - उचित लाभ उठाओं।
जीवन एक महान यात्रा है - सफलतापूर्वक पूरी करो।
जीवन एक प्रतिज्ञा है - सत्यरूप से पालन करो।
जीवन प्रेम पथ है - उसका गुणवान करो।
जीवन एक अनुभूति है - ज्ञानपूर्वक अनुभव प्राप्त करो।
जीवन एक महायुद्ध है। - उसमें विजय प्राप्त करो।
जीवन एक पहेली है - उसे बुद्धिपूर्वक हल करो।
जीवन एक महान लक्ष्य है - उसकी प्राप्ति का सदा प्रयत्न करो।

कु० लीला कुवर बिष्ट
बी०ए० द्वितीय वर्ष
ग्राम– कामा
(बग्वाली पोखर अल्मोड़ा)

With best compliments from :

S. K. Sahni

M/s SAHNI WATCH MAKER

Specialist For :

TITAN, H.M.T., QUARTZ WATCHES
& ALL OTHERS
HAND WATCHES & WALL CLOCKS
S & R

24, E.C. Road (Survey Chowk)
Dehra Dun- 248001

With best compliments from :

2671482 (R)
9412006100

ASHU STUDIO

A House of Spl. Marriage Photo
Video Coverage
&
Outdoor Photography
56, Dharmpur, (Mothrawala Road)
Derha Dun (U.A)

1. We do not hold order more than 60 day.
2. Girls Photographs shall not be delivered without Card.
3. Please Pay 75% amount in advance.

With best compliments from :

Surender Kohli

Kohli Tours & Travels

(Govt. Regd.)

Deals in :
For Latest Model
A/c & Non A/C Taxi, Cars
&
Domestics Air Tickets

ATT
Indian Airlines
JET AIRWAYS
SAHARA INDIAN AIRLINES

1- Raja Road,
SAURABH Hotel
(Near Court Compound)
Dehra Dun (U.A)

Ph. 0135-2695047 (R), 3090734 (O)
Mob. 9837237321

With best compliments from :

SAMRAT ENTERPRISES

Dealers in :
L.P. Gas Stove, Pressure Cooker,
Stove, Electric Goods Mixer Grinder
and Commercial Fittings

Specialist in :
Service & Spare Parts

35, Chakrata Road,
Dehra Dun-248 001
☎ 2651836 (R) 2652733, 2712705 (S)

भारतीय मजदूर संघ
उत्तरांचल

राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित

धन्यवाद ।

Offset & Screen Printing
at reasonable with short duration
welcome
Raj Offset Printers
MOTI BAZAR Dehra Dun ☎ 2656575
3082153 Mob. 94123-18855

प्रतिरक्षा समन्वय संघ के तत्वाधान में मनाये गये संयुक्त वार्षिक अधिवेशन 2004 की झलकियां।

प्रतिरक्षा समन्वय संघ के तत्वाधान में मनाये गये संयुक्त वार्षिक अधिवेशन 2004 की झलकियां।

प्रतिरक्षा समन्वय संघ के तत्वाधान में मनाये गये संयुक्त वार्षिक अधिवेशन 2004 की झलकियां।